ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जुलाई 2018 अंक 05

विषय सूची

जुलाई 2018
अंक-5

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-15

- शहरी अवसंरचनाः म्युनिसिपल बॉण्डों की बढ़ती भूमिका
- सरकारी एलान और एमएसपी की एबीसीडी
- एक उम्मीदवार एक सीटः चुनाव सुधार का एक पक्ष
- आदिवासियों में पैर पसारता कुष्ठ रोग
- वर्तमान में व्यभिचार बनाम वैवाहिक संस्था
- नगरों में कूड़े के पहाड़ः एक चुनौती
- दौड़ में आगे निकलती भारतीय अर्थव्यवस्था

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16-20

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 21-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 38

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 39

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. शहरी अवसंरचनाः म्युनिसिपल बॉण्डों की बढ़ती भूमिका

चर्चा का कारण

बाजार में म्युनिसिपल बॉण्ड की वापसी एक स्वागत योग्य कदम है। मध्य प्रदेश पिछले दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपने म्युनिसिपल बॉण्ड को सूचीबद्ध कराने वाला पहला राज्य बना। केन्द्र की अमृत योजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए इंदौर नगर निगम ने 170 करोड़ रुपये के 'नगर पालिका बॉण्ड' जारी किए।

पृष्ठभूमि

ऐसे समय में जब किसी शहर का विकास अपने उच्च स्तर पर होता है, तो नगर पालिका पूरी तरह से अपने राजस्व स्रोतों पर निर्भर नहीं कर सकती, जिसमें कर, गैर-कर और जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता भी शामिल है। अतः शहर धन जुटाने और शहर के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए विभिन्न तरीके ढूंढते है। सार्वजनिक भागीदारी के द्वारा धन की कमी को पूरा करने का एक प्रमुख साधन नगरपालिका बॉण्ड हैं। धन जुटाने के लिये नगरपालिका बॉण्ड पश्चिमी देशों में एक प्रमुख साधन रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा पिछले साल नवम्बर में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सबसे बड़ा नगरपालिका बॉण्ड जारी करने वाला राष्ट्र है।

क्या होता है म्युनिसिपल बॉण्ड?

नगरपालिका बॉण्ड सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण दायित्व हैं। जब आप एक नगरपालिका बॉण्ड खरीदते हैं, तो आप पूर्व निर्धारित अवधि के दौरान ब्याज भुगतान की एक निश्चित राशि के बदले में जारीकर्ता को धन उधार दे रहे हैं। उस अवधि के अन्त में जब बॉण्ड अपनी परिपक्वता तिथि तक पहुँचता है तो आपको मूल निवेश की पूरी राशि वापिस कर दी जाती है। अतः समझ सकते हैं कि नगरपालिका बॉण्ड ऋण के वे साधन होते हैं जिसके अंतर्गत निवेशक को नगरपालिका निकाय द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान ब्याज के साथ निश्चित राशि चुकाई जाती है। ये बॉण्ड सामान्यतः पाँच से सात वर्षों के कार्यकाल के होते हैं। इनसे मिला पैसा शहर के विकास या रख-रखाव परियोजनाओं की निधि के लिए उपयोग किया जाता है। ये बॉण्ड शहरों के विकास के लिए वरदान हैं खासकर जब कई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा योजनाएं लागू की जानी हों तो ये बॉण्ड विभिन्न योजनाओं को धन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं।

वर्तमान में स्मार्ट शहरों के निर्माण, कायाकल्प और शहरी निर्माण (AMRUT) और अन्य शहरी विकास योजनाओं के धन जुटाने के लिए ये बॉण्ड जारी करने की बात चल रही है।

नगरपालिका बॉण्डों के लाभ

- 21वीं सदी में भारत में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये शहरों को अवसंरचनात्मक स्तर पर मजबूत व समावेशी बनाना होगा जिसके लिये धन की आवश्यकता होगी। म्युनिसिपल बॉण्ड धन उपलब्ध कराने के बेहतरीन साधन हैं।
- शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट, सड़क, मलिन बस्ती प्रबंधन, जल उपलब्धता, परिवहन, प्रदूषण जैसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बहुत धन की आवश्यकता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को अधिक धन एकत्र करने के लिये सशक्त बनाया गया है।
- ये बॉण्ड नगर निगमों को प्रत्यक्षतः धन जुटाने का अवसर देते हैं जिससे उनकी निर्भरता केंद्र व प्रदेश सरकार पर कम होती है तथा शहरी योजनाओं में तेजी आती है।
- ये बॉण्ड पेंशन फण्ड, विभिन्न बीमा कम्पनियों जैसे बड़े-बड़े निवेशकर्ताओं को निवेश के लिए एक अच्छा क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार भारत में नगर पालिकायें ऐसे बॉण्ड जारी करके प्रति वर्ष 1000 से 1500 करोड़ रुपये जुटा सकती हैं।
- अमेरिका व चीन द्वारा इन बॉण्डों का प्रयोग सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
- ये बॉण्ड शहरी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। यह सावधि व छोटी बचत योजनाओं से परे निवेशकों के लिये बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे।

न्यायाधीश अहलूवालिया की अध्यक्षता में शहरी आधारभूत संरचना पर बनी समिति के अनुसार, भारतीय शहरों को आने वाले दो दशकों (2031 तक) में शहरों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए 40 बिलियन रुपये की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो न केवल अर्थव्यवस्था गड़बड़ायेगी बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा।

चुनौतियाँ

- म्युनिसिपल बॉण्ड को लेकर बड़े सवाल खड़े किये जा रहे हैं। भारत में इनके बारे में व्याप्त निराशा की एक वजह यह है कि ऐसे बॉण्ड जून 2017 के बाद से करीब बंद ही हो गए हैं। पिछले साल जून में पुणे ने म्युनिसिपल बॉण्ड के जरिए धन जुटाया था। उसके बाद हैदराबाद ही इकलौता शहर था जिसने फरवरी 2018 में अपने बॉण्ड के जरिए 200 करोड़ रुपये जुटाये। यह चिंता का विषय है कि भारत में अभी तक 14 शहरी निकायों की तरफ से ही म्युनिसिपल बॉण्ड जारी किए गए हैं और इस दौरान केवल 1500 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं।
- कई नगर निगमों को करों की दरों के बढ़ने से काफी फायदा हुआ है। उदाहरणार्थ भारत की सबसे अमीर नगरपालिका बृहत मुम्बई ने लोकल करों से अपने कुल राजस्व का 33% कमाया। GST के आने से लोकल कर कम हो जायेंगे। अतः नगर पालिकायें अपने धन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य उपकरण खोजने की चुनौती होगी।
- म्युनिसिपल बॉण्डों के व्यापार के लिए द्वितीयक बाजार की कमी इनकी अलोकप्रियता की बड़ी समस्या है।

- इन बॉण्डों के द्वारा सीमित मात्रा में रिटर्न मिलना एवं नगर निगमों की निम्न क्रेडिट होना एक चुनौती है।
- बीमा तथा पेंशन कम्पनियों द्वारा इन बॉण्डों में निवेश कम किया जाता है।
- भारत में नगर निकायों के सुधारों के अमल की गति धीमी रही है। इसके चलते भारत में शहरों के नवीनीकरण की महत्वकांक्षी योजनाएँ कमजोर वित्त व्यवस्था की रेतीली जमीन पर ही बनाई जाती रही हैं।
- अधिकांश नगर निगमों द्वारा अपने खातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता जिससे अपारदर्शिता व भ्रष्टाचार बना रहता है।

म्युनिसिपल बाण्डों के लिए सेबी के दिशा-निर्देश:

- ऐसे म्युनिसिपल बॉण्ड जिनसे किसी एक परियोजना के लिए धन जुटाया जायेगा उनको राजस्व बॉण्ड कहा जायेगा। ऐसे बॉण्ड सार्वजनिक रूप से पेश किए जाऐंगे।
- ऋण लेने की उम्मीद रखने वाले नगर पालिकाओं का लगातार पिछले तीन वर्षों का शुद्ध मूल्य नकारात्मक नहीं होना चाहिए।
- ऐसे बाण्डों की परिपक्व अवधि न्यूनतम 3 वर्ष तथा एक न्यूनतम निवेश रेटिंग होनी चाहिए।
- न्यूनतम सदस्यों के न मिलने की दशा में सभी आवेदकों का धन 12 दिनों की अवधि के अन्दर वापस करना होगा।
- नगरपालिकाओं को परियोजना लागत का कम से कम 20% देना होगा।
- नगर पालिकाओं द्वारा लिया गया राजस्व एक अलग खाते में रखा जायेगा जिसका अन्य बैंकों व राजस्व संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा।

आगे की राह

आगे की राह के लिए कई कदम उठाये जा सकते हैं। पहला, पेंशन फंड व बीमा के नियामक को अपनी विनियमित संस्थाओं को नगरपालिका बॉण्ड में निवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, नगर निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यशैली में पारदर्शिता आये जिससे लोगों का इन वॉण्डों पर विश्वास बढ़े। तीसरा, हमें यह समझना होगा कि केवल ये बॉण्ड शहरी राजस्व का विकल्प नहीं हैं। शहरों को स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क आदि को एकत्र करने के लिए कड़ी नीतियाँ अपनाना चाहिए। शहरों का एक बड़ा हिस्सा कर के दायरे से बाहर है। बंगलौर के 1/4 घरों के द्वारा ही हाउसटैक्स भरा जाता है। अन्य नगरों में स्थिति और भी खराब है इससे शहरों के विकास के लिए राजस्व की कमी बनी रहती है। अतः कर वृद्धि के लिए अधिक लोगों को कर दायरे में लाना होगा। चौथा, एक एजेंसी बनाने की जरूरत है जो इन बॉण्डों की क्रेडिट में सुधार करे, इनके जोखिमों को कम करे। जापान में नगर वित्त बॉण्डों के लिये जापान फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक सार्वभौमिक गारंटी देता है। दक्षिण अफ्रीका में बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका नगरपालिका बॉण्डों को विश्वसनीय बनाने के लिये अपनी बैलेंस शीट का उपयोग करता है।

म्युनिसिपल बॉण्ड के लिये आगे की राह निश्चित रूप से कठिन रहेगी। क्रिसिल द्वारा बॉण्ड जारी करने की तैयारी परखने के लिये 14 राज्यों के 94 शहरों की क्रेडिट रेटिंग की गई, इनमें से केवल 55 शहरों को ही निवेश के अनुकूल रेटिंग मिली बाकी शहर निवेश स्तर से नीचे पाये गये। वर्तमान में भारत में शहरी नगर पालिका बॉण्डों की विश्वसनीयता बढ़ाना है तो नगरपालिका बॉण्डों, राज्य सरकारों व केंद्र को कारगर कदम उठाने होंगे। निवेशकों को आश्वस्त करना होगा कि म्युनिसिपल बॉण्ड का भुगतान करने के लिए निकायों के पास समुचित राजस्व है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

निवेश मॉडल।

■

2. सरकारी एलान और एमएसपी की एबीसीडी

चर्चा का कारण

कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने खरीफ फसलों के लिए उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का एलान किया था। धान के न्यूनतमन समर्थन मूल्य में 250 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। दूसरी ओर एमएसपी में हालिया इजाफे की यह कहते हुए आलोचना भी की जा रही है कि यह मूल्य वृद्धि उस अनुपात में नहीं है, जितना किसान उम्मीद कर रहे थे। किसान फसल की सी2 लागत पर डेढ़ गुना इजाफा चाहते हैं, जबकि यहां पर ए2 प्लस एफएल पर डेढ़ गुना इजाफे की बात सरकार द्वारा की जा रही है।

2017-18 रबी मौसम के लिए अनुमानित लागतें और प्रस्तावित एमएसपी (रूपये/क्विंटल में)					
फसल	ए2-एफएल	सी2	एमएसपी	ए2+एफएल का लाभ	सी2 का लाभ
गेहूं	817	1,256	1,735	112.36%	38.14%
जौ	845	1.196	1,410	66.86%	17.89%
चना	2,461	3,526	4,400	78.79%	24.79%
दाल	2,366	3,727	4,250	79.63%	14.03%
सफेद और पीली सरसों	2,123	0,086	4,000	88.41%	29.62%
कुसुम (वनस्पति तेल)	3,125	3,979	4,000	28.00%	00.53%
स्रोतः कृषि लागत और मूल्य आयोग तथा कृषि मंत्रालय					

किसानों की वर्तमान आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों का कानूनी अधिकार बना दिया जाए। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

पृष्ठभूमि

भारत में किसानों को उनकी उपज का ठीक मूल्य दिलाने और बाजार में कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार फसल बोने के पहले कुछ कृषि उत्पादों पर समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खासतौर से जब फसल बेहतर हो तब समर्थन मूल्य की जरूरत होती है।

देश में 25 कृषि उत्पादों पर सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है। इनमें सात अनाज, पाँच

दलहन, आठ तिलहन के अलावा जटा वाले और छिले नारियल, कपास, जूट और तम्बाकू शामिल हैं, इसके अलावा गन्ने की कीमतें गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत तय होती हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य जारी किये जाते हैं। पहले का उद्देश्य यह है कि बाजार में कीमतों को एक स्तर से नीचे न आने दिया जाए। दूसरे का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम के वितरण के लिए एफसीआई जैसी सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली रबी और खरीफ की खरीद का मूल्य तय करना है।

कैसे तय होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य

भारत में कृषि उत्पादों के लिये MSP का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009 से MSP के निर्धारण में उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति की स्थिति, आदान मूल्यों में परिवर्तन, मंडी मूल्यों का रूख, जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव और बाजार के मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। सीएसीपी उत्पादन लागत की तीन परिभाषाएं स्वीकार करता है:

- ए2 (वास्तव में खर्च की गई लागत)
- ए2+एफएल (वास्तव में खर्च की गई लागत + पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य)
- सी2 (समग्र लागत, जिनमें स्वामित्व वाली भूमि और पूंजी के अनुमानित किराये और ब्याज को भी शामिल किया जाता है)

न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशें तैयार करने में, उपर्युक्त कारकों के अलावा विशेष वस्तुओं के समूह, अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना एवं एक व्यापक दृष्टिकोण से, विचार किया जाता है इसमें निम्नलिखित आयामों पर ध्यान दिया जाता है:

उत्पादन लागत	इनपुट की कीमतों पर परिवर्तन	इनपुट, आउटपुट मूल्य समता
बाजार में कीमतों में रुझान	मांग और आपूर्ति	फसल कीमत समता
औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव	जीवन यापन की लागत पर प्रभाव	सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की स्थिति	किसानों द्वारा प्राप्त भुगतान की कीमतों और कीमतों के बीच समानता	खाद्यान्न की कीमतों और सब्सिडी निहितार्थ पर प्रभाव

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ

- खाद्यान्न और अन्य फसलों की कीमतों में स्थिरता आती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नई तकनीकियों को किसानों में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक सामाजिक कदम के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका विहित करता है क्योंकि इसके माध्यम से निर्धन लोगों के बीच आय का हस्तांतरण होता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कृषि व्यापार शर्तों को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। इसके माध्यम से फसल पैटर्न को ऐच्छिक दिशा में ले जाया जा सकता है। उदाहरण भारत में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए गेहूं, चावल, आदि की दिशा में फसल पैटर्न में बदलाव आया है।
- इसके माध्यम से भारत में खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति बन पाई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से खाद्यान्न और अन्य फसलों के बाजार में कीमत स्थिरता को लागू किया जा सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की हानियाँ

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण मोटे अनाज और कुछ दालों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ कुछ विशेष क्षेत्र और कुछ विशेष लोगों को अधिक मिला है। भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष राज्यों जैसे की पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में अधिग्रहण के कार्यक्रम को विशेष वरीयता दी गई है, इससे प्रादेशिक असंतुलन के बढ़ने के साथ-साथ आय की विषमताओं में बढ़ोत्तरी हुई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक संस्थाओं की पर्याप्त मात्रा देश भर में विधमान हो। लेकिन यह देखा गया है कि सार्वजनिक संस्थाओं की कमी के कारण अधिग्रहण का कार्य मंडी स्तर पर आढ़तियों को दे दिया जाता है इससे छोटे किसानों का शोषण होता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ी भारतीय नीति में इस बात कि अवहेलना कि गई है खाद्यान्नों से जुड़ा हुआ मांग पक्ष किस प्रकार का है इसका यह परिणाम होता है कि निर्धनों के लिए खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण, वितरण, भण्डारण के कारण भारत के खाद्यान्न के निजी व्यापार पर विपरीत असर पड़ा है। विश्व बैंक के अनुसार यह दीर्घकालिक दृष्टि से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कि सरकारी नीति के कारण पर्यावरण पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। गेहूं चावल आदि के निरंतर MSP बढ़ने से रासायनिक उर्वरक आदि के अत्यधिक उपयोग का बढ़ावा मिला है।
- वर्तमान में एमएसपी की घोषणा सिर्फ 25 फसलों के लिए की जाती है। हरियाणा के हिसार के एक किसान का कहना है, 'अन्य फसलों के लिए किसानों को बाजार की अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। फलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए कोई एमएसपी नहीं है।'
- किसानों को सही समय पर एमएसपी नहीं मिलता, क्योंकि सरकार सही समय पर खरीददारी नहीं करती और किसानों को मजबूर होकर एमएसपी से कम कीमत पर अपनी उपज को बेचना पड़ता है।
- घोषित इजाफा बहुत कम है, क्योंकि यह ए2 + एफएल पर आधारित है। हकीकत यह है कि हमारे देश के 93 फीसदी किसानों की पहुंच तो एमएसपी तक भी नहीं है, उन्हें बाजार की अस्थिरता का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय उपबंध

- 2018 में वाली WTO की कान्फ्रेंस में व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति हुई। इसमें विकासशील व अल्पविकसित देशों की विभिन्न समस्याओं व सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रियायत दी गई।

  यह उपबंध भारत की पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी सार्वजनिक वितरण के लिए बनाए जाने वाले अनाज भंडार से संबंधित है।
- पब्लिक स्टॉक हाल्डिंग को लेकर WTO का तर्क है कि यदि देश अपने सुरक्षित अन्न भंडार की सीमा कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं तो किसानों को विनियमित बाजारों से लाभ होगा और उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। बाजार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को भी सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होगी।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने को की गई थी। यह आयोग कृषि के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंलीय समिति द्वारा अनुमोदित होता है।

MSP को लागू करने के लिए प्रमुख योजनायें

नीति आयोग ने एमएसपी को लागू करने के लिए पिछले दिनों राज्यों को तीन योजनाओं का सुझाव दिया था। जो निम्नलिखित हैं-

1. **मूल्य कमी खरीद योजना (Price Deficiency Procurement Scheme):** मूल्य कमी खरीद योजना के अंतर्गत एमएसपी और प्राप्त वास्तविक मूल्य के बीच अंतर के लिए किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है।
2. **निजी खरीद और भंडारण योजना (Private Procurement and Stockist Scheme):** इस योजना के अन्तर्गत सरकार निजी क्षेत्र व व्यापारियों को किसानों से कृषि उपज खरीदने के लिए कर में छूट एवं अन्य सुविधायें प्रदान कर प्रोत्साहित करती हैं।
3. **बाजार आश्वासन योजना (Market Assurance Scheme):** बाजार आश्वासन योजना राज्यों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि खरीद करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें एक निश्चित सीमा तक हानि होने पर केंद्र सरकार द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है।

इण्डियन काउसिंल ऑफ इण्टरनेशनल इकॉनौमिक रिलेशन (ICRIER) के एक अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा है कि यदि मूल्य कमी खरीद योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया जाए और एमएसपी से 20-30% कीमतें कम हो तो ऐसी स्थिति में सरकार पर 1.13-1.69 लाख करोड़ रू का वित्तीय भार पड़ सकता है।

आगे की राह

आज देश भर का किसान कर्ज के बोझ से दबा है। कर्ज के कारण ही अधिकांश किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर इस स्थिति से किसान को उबारना है तो उसे एक झटके में सभी किस्म के ऋणों से मुक्त करना होगा- बैंकों का ऋण, सहकारी समिति का ऋण या फिर साहूकार का ऋण। किसान संगठनों की मांग है कि इस पूरे ऋण को एक बार रद्द कर दिया जाए। साहूकार के ऋण में भी सरकार दखल दे और उसका निपटारा करे। यह दोनों मांगें एक-दूसरे से अलग नहीं है। केवल ऋण मुक्ति से किसान कि समस्या नहीं सुलझेगी। जिसकी आमदनी ही नहीं है उसका कर्जा एक बार माफ करेंगे तो कुछ समय बाद फिर करना पड़ेगा। जब तक किसान को फसल का पूरा और नियमित रूप से दाम मिलना शुरू न हो जाए तब तक खाली कर्ज माफी का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आय सुनिश्चित करने से भी फायदा नहीं होगा जब तक उसके कर्ज के बोझ को खत्म न किया जाए। अगर ये दोनों प्रस्ताव मान लिए जाएं तो यह किसान के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। अब समय आ गया है जब हमें मूल्य नीति से आय नीति की ओर बढ़ना चाहिए।

वर्तमान में MSP कहीं भी फसल की वास्तविक लागत के आस-पास तक नहीं बैठता। यह सबको पता है कि विभिन्न फसलों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में एमएसपी वास्तविक लागत से कम है। उदाहरण के लिए, पंजाब और मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की लागत बिहार और यूपी से कहीं ज्यादा है। इसका अंदाजा आपको प्रोफेसर आर. एस. घुम्मन की उस स्टडी से लग जाएगा जो उन्होंने पंजाब सरकार के लिए की थी। इसमें बताया गया था कि 1997 और 2007 के बीच पंजाब के किसानों को उनकी वह कीमत नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, इस तरह उन्हें 62 हजार करोड़ रूपयों का घाटा हुआ। अब आप अनुमान लगाइए कि उस राज्य में जहां 90 फीसदी से अधिक गेहूं आधिकारिक एमएसपी पर खरीदा जाता है वहां के किसानों को जब इतना घाटा सहना पड़ा तो दूसरे राज्य के किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता होगा। पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब का हर तीसरा किसान गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। दूसरे शब्दों में, एक प्रगतिशील राज्य में जहां 90 फीसदी गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है, मतलब किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, वहां किसान बिरादरी की एक-तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तो अन्य राज्यों में हालात क्या होंगे। पिछले 17 बरसों में (2000-2017) जिन 16000 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की थी वे इसी श्रेणी में आते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

3. एक उम्मीदवार एक सीटः चुनाव सुधार का एक पक्ष

चर्चा का कारण

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका का विरोध किया है जिसमें किसी उम्मीदवार के एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि रिट याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि यह इस बात को दर्शाने में विफल रही है कि लोगों के किसी मौलिक या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के उप सचिव के. के. सक्सेना ने हलफनामे में कहा कि, 'यह प्रार्थना की जाती है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) में संशोधन से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ राजनीति में उम्मीदवारों के विकल्प में कटौती होगी'।

हलफनामे में कहा गया कि किसी उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लड़ने के अधिकार में कटौती के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही याचिका को खारिज करने की मांग की गई। चुनाव आयोग ने पिछले साल दिसंबर में दायर अपने हलफनामे में चुनाव सुधार पर 2004 के अपने प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा था कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीट से चुनाव नहीं लड़े।

परिचय

एक सीट एक उम्मीदवार से आशय यह है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक सीट से चुनाव लड़ सकता है। वह एक से अधिक सीटों पर लड़ने के लिए वैध नहीं होगा। क्योंकि अभी यह प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि 1996 से पहले कोई प्रत्याशी कितनी भी जगह से चुनाव लड़ सकता था लेकिन 1996 में संसद ने कानून बनाकर इसे दो सीटों तक सीमित कर दिया। इसके बाद से यह व्यवस्था अभी तक बनी हुई है।

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7) क्या कहता है?

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7) कई प्रावधानों का उपबंध करती है जैसे- यदि इस अधिनियम की उपधारा 6 में या उसके अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति-

क. लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराए गए हो या नहीं), दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से,

ख. राज्य की विधानसभा के लिये साधारण निर्वाचन की दशा में (चाहे सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में साथ-साथ निर्वाचन कराये गये हो या नहीं) उस राज्य में दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से,

ग. राज्य की विधान परिषद के लिये, जहाँ ऐसी परिषद है द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में उस राज्य में दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से,

घ. किसी राज्य को आवंटित दो या अधिक स्थानों को भरने के लिये राज्यसभा हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में, ऐसे दो से अधिक स्थानों को भरने के लिये,

ड़. दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के लिये उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों, ऐसे दो से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से,

ज. दो या अधिक परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परिषद के लिये, जहाँ ऐसी परिषद है, उप-निर्वाचनों की दशा में, जो साथ-साथ कराए गए हों,

ऐसे दो से अधिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से, निर्वाचन के लिये अभ्यार्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं कर सकता।

चुनाव आयोग की पहल

चुनाव आयोग द्वारा भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए समय-समय पर सुधार किये जाते हैं या सिफारिश की जाती है। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के बारे में भारत के विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट को संदर्भित किया, जिसमें यह सिफारिश की गई कि मतदाताओं के लिये समय, प्रयास, चुनाव थकान और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए एक उम्मीदवार को केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होने की अनुमति दी जाए।

चुनाव आयोग ने जुलाई 2004 में सरकार को चुनावी सुधारों के संबंध में 22 प्रस्तावों का एक सेट भेजा था जिसे विभाग की संबंधित संसदीय स्थायी समिति, लोक शिकायतों, कानून और न्याय समिति द्वारा परीक्षण हेतु 2005 में राज्यसभा में भेजा गया। 22 प्रस्तावों के इस समूह के प्रस्ताव संख्या 4 में एक व्यक्ति के एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि कानून के द्वारा एक व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित किया जाय।

विदित हो कि चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को विधानसभा/विधानपरिषद चुनाव के दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिये 5 लाख रुपये तथा आम चुनाव के लिये 10 लाख रुपये जमा करना चाहिये। यही नहीं इस धनराशि का उपयोग उम्मीदवार द्वारा एक सीट छोड़ने की स्थिति में उप-चुनाव के संचालन के लिये किया जाएगा।

एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का कारण

जनप्रतिनिधि द्वारा एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के कई कारण हैं-

1. **राजनीतिक असुरक्षा की भावना:** कई राजनीतिक दलों द्वारा अपने कई उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों पर खड़ा कराया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका उम्मीदवार शायद एक जगह से चुनाव जीत नहीं सकता है। इसलिए उनको लगता है कि यदि दो जगहों से चुनाव लड़ेंगे तो वह कहीं न कहीं से जीत दर्ज कर लेगा।
2. **कालेधन का खेल:** बड़ी-बड़ी पार्टियाँ कालेधन की खपत के लिए उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़वाते हैं। इससे विपक्षी पार्टियों पर एक राजनीतिक दबाव भी बनाया जाता है।
3. **भविष्य के लिए सीट सुरक्षित:** जब एक उम्मीदवार दो जगहों पर चुनाव लड़ता है और दोनों जगहों पर जीत दर्ज करता है तब वह एक सीट को छोड़ता है। इस संबंध में उम्मीदवार या पार्टी को यह विश्वास होता है कि उपचुनाव में उनका उम्मीदवार फिर से विजयी होगा। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि स्थिति इसके विपरीत होती है।
4. **जनता के बीच सहानुभूति के लिए:** अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दो सीटों पर चुनाव बड़े उम्मीदवार जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जैसे प्रत्याशी को ही खड़ा कराया जाता है। इससे एक राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की जनता के मन में प्रत्याशी के प्रति सहानुभूति होना स्वाभाविक है क्योंकि उसे लगता है कि यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दावेदार उनके क्षेत्र से जीत दर्ज करता है तो विकास ज्यादा होगा।

एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के नुकसान

किसी भी उम्मीदवार के एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से कई तरक के नुकसान हैं जिससे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. **अनावश्यक खर्च:** जब कोई उम्मीदवार दो सीटों पर जीत दर्ज करता है और फिर एक सीट छोड़ता है तो उस पर 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है इससे पैसे की बर्बादी होती है क्योंकि चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को मानव संसाधन से लेकर पूरी मशीनरी लगानी पड़ती है। इसके कारण पठन-पाठन का कार्य भी प्रभावित होता है।
2. **कालेधन का खपत:** एक से अधिक जगहों पर चुनाव लड़कर कई उम्मीदवार कालेधन का उपयोग चुनाव में करते हैं। वे किसी भी तरह से दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। खासतौर पर उस सीट के लिये जिस पर उन्हें जीत हासिल करने में संदेह है वहाँ पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं।
3. **गैर जिम्मेदार प्रत्याशी को बढ़ावा:** इस व्यवस्था से ऐसे उम्मीदवार जो चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है वे भी चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे दल के उम्मीदवार को हराने के लिए इस तरह के प्रत्याशीयों का अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा कराते हैं।
4. **जनता के साथ धोखा:** क्षेत्र की जनता एक प्रत्याशी को बहुत उम्मीद के साथ वोट देती है कि जब वह प्रत्याशी जीतेगा तो उस क्षेत्र

के लिये कार्य करेगा। लेकिन जब प्रत्याशी दो जगहों से चुनाव जीतकर एक स्थान को छोड़ता है तो यह वहाँ की जनता के साथ धोखा के समान है क्योंकि प्रत्याशी जनता का विश्वास हासिल करके जीत दर्ज करता है और फिर जीतने के बाद जनता से मुंह मोड़ लेता है।

5. **जनता को परेशानी:** चुनाव के बाद जब प्रत्याशी एक सीट छोड़ता है और फिर उपचुनाव होता है तो जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि उपचुनाव की तिथि चुनाव के तुरंत बाद निर्धारित नहीं होती है इसलिए वोट डालने के लिए जनता को फिर से एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। विदित है कि एक राज्य के लोग अत्यधिक संख्या में दूसरे राज्यों में भी रहते हैं और फिर सिर्फ मतदान के लिये अपने गृह राज्य वापस जाना उनके लिए मुश्किल का काम होता है। इससे उनके रोजगार से लेकर उनके आने-जाने तक में परेशानी होती है।
6. एक से अधिक जगहों से चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा नुकसान यह भी होता है कि ईमानदार उम्मीदवार के चुनाव हार जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा अपराधी प्रवृत्ति का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। इससे राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

केवल एक सीट पर चुनाव लड़ने से फायदे

1. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जनता का विश्वास प्रतिनिधि के प्रति बना रहेगा जो लोकतंत्र की खूबसूरती है।
2. चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह के नियम से चुनाव में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा।
3. सरकारी खर्चों से लेकर निजी खर्चों को बचाया जा सकता है।
4. गैर जिम्मेदार प्रत्याशियों को इससे रोका जा सकता है।
5. जनता के अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने में मदद मिलेगी।
6. समय की बचत होगी जिससे कि पठन-पाठन जैसे कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

निष्कर्ष

यदि चुनाव के समग्र प्रिक्रिया पर ध्यान दे तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक सीट के लिए बार-बार चुनाव करवाना कहीं से भी संगत नहीं है क्योंकि चुनाव का बोझ अंततः जनता पर ही पड़ता है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होता है बल्कि उसके तहत किये गये कार्य का महत्व होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव आयोग सर्वोच्च/उच्च न्यायालय तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हो और देशहित में सही फैसला लिया जाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।

■

4. आदिवासियों में पैर पसारता कुष्ठ रोग

चर्चा का कारण

हाल ही में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव करने वाले कानूनी प्रावधानों को खत्म करने के मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि राज्य सरकारों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो ये देखें कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली दूरदर्शन केंद्र और राज्य स्तर पर प्राइम टाइम में प्रोग्राम प्रसारित कर बताएं कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो 8 अगस्त तक इन दिशा निर्देशों की पालना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपें।

क्या है कुष्ठ रोग?

कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला क्रोनिक संक्रामक रोग है, जिसके परिणामस्वरुप त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं, हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है एवं त्वचा पर पीले या तांबे रंग के धब्बे हो जाते है। 1873 में हैनसन ने इस रोग के रोगाणु की खोज की, इसलिए इसको "हैनसन बीमारी" (Hanson's Disease) भी कहा जाता है।

कुष्ठ रोग के कारण

- आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कुष्ठ के जीवाणु शरीर में पहुंचकर रक्त को दूषित करके कुष्ठ रोग की उत्पत्ति करते हैं। चिकित्सा नहीं कराने पर जीवाणु रक्त में तेजी से फैलकर त्वचा को गलाकर खत्म कर देते हैं। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जख्म दिखाई देने लगते हैं।
- कुष्ठ के जख्मों से पस (मवाद) स्राव होता है। इस पस में भी कुष्ठ के जीवाणु होते हैं। इस पस के संपर्क में आने वाले लोग भी कुष्ठ रोग के शिकार हो सकते हैं। जीवाणु

के शरीर में पहुँचने के लंबे समय बाद कुष्ठ के लक्षण दिखाई देते हैं।

- कुष्ठ की चिकित्सा में देर होने से शरीर में जीवाणु विकसित होकर रक्त को दूषित करके कुष्ठ रोग में वृद्धि कर देते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार कुष्ठ रोग पीड़ितों में से अधिकांश व्यक्ति गर्म एवं नम जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं जबकि ठंडे तथा सूखे जलवायु में कुष्ठ रोगियों की संख्या कम होती है।
- आयुर्वेद के अनुसार कुष्ठ रोग भोजन में प्रकृति विरुद्ध खाद्य-पदार्थों का सेवन करने से रक्त के दूषित होने पर कोढ़ की उत्पत्ति होती है जैसे कि मांस का सेवन करने के बाद दूध पी लेना।

कुष्ठ रोग के लक्षण

- कुष्ठ रोग का पहला लक्षण यह है कि रोगी के शरीर के संक्रमित स्थानों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है और शरीर के प्रभावित भागों पर स्पर्श महसूस नहीं होता। रोग के शुरू में अकसर त्वचा के किसी भाग में संवेदनहीनता अथवा ज्यादा संवेदनशीलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह इस रोग का प्रमुख लक्षण है।
- कुछ अन्य तरह के मामलों में पहले त्वचा पर 2 से 3 से.मी. व्यास के पीलापन और लाल रंग लिए चमकदार चकत्ते उभरते हैं। इनमें सूजन आ जाती है। रोगी को बुखार भी रहता है और प्रभावित स्थानों में तेज दर्द होता है तथा सूजे हुए चकत्तों के ऊपर की त्वचा फट जाती है, जिससे स्राव भी होता है।
- हाथ या पैर की अंगुली भी सुन्न हो सकती है। पलकों के झपकने में कमी होने से रोगी अंधेपन का शिकार हो सकता है।
- मुंह तथा संक्रमित स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है और नाड़ियों में सिकुड़न महसूस होती है।
- इसके अलावा हाथ, पैर और आंखों में कमजोरी, नसों में सूजन, मोटापन या दर्द, चेहरे, शरीर और कान पर गांठें, छाले और घाव के अलावा हाथों एवं पैरों की उंगलियों में घाव बन जाते हैं और ये गलकर समाप्त होने लगते हैं।
- कुष्ठ रोगी को धूप में चलने-फिरने से बहुत जलन व पीड़ा होती है।

कुष्ठ रोग का आधुनिक उपचार

- कुष्ठ रोग अनेक प्रकार के होते हैं और उनका इलाज भी उनकी प्रकृति पर ही निर्भर करता है।
- ट्यूबरक्युलॉयड कुष्ठ रोग, जिसमें जीवाणु बहुत कम होते हैं और संक्रामकता नहीं के बराबर होती है, को मात्र छह महीने में 'मल्टी ड्रग थेरेपी' से ठीक किया जा सकता है।
- जबकि लेप्रोमोटस कुष्ठ रोग जिसमें जीवाणु अधिक होते हैं और संक्रामकता भी अधिक होती है, को कम से कम एक साल के 'मल्टी ड्रग थेरेपी' (एम.डी.टी) से ही ठीक किया जा सकता है। मल्टी ड्रग थेरेपी में जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है, उनमें प्रमुख हैं- डैप्सोन और रिफैम्पिसिन। एम.डी.टी. से रोगी थोड़े से समय में रोगमुक्त हो जाता है। एम.डी.टी. के उपचार में दिए जाने वाले दवा के एक पत्ते में 28 दिन की दवाइयां होती हैं। एक से 5 धब्बों का छह महीने का उपचार होता है। पांच से अधिक धब्बे होने पर 12 महीने का इलाज चलता है।
- रिफैम्पिसिन की केवल एक खुराक लेने से संसर्गजन्य कुष्ठरोग में 57% से लेकर 75% तक की कमी हो जाती है।
- कुष्ठ रोग के टीके: बीसीजी का टीका लगाने से भी कुष्ठ रोग से सुरक्षा प्राप्त होती है।
- अंगों को ज्यादा नुकसान होने पर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है।

वर्तमान परिदृश्य

भारत ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को 2005 में ही लगभग समाप्त कर इसे 1/10000 दर की राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया गया था। लेकिन कुष्ठ रोग के नये मामले उभर कर सामने आये हैं विशेषत: आदिवासियों में। हाल फिलहाल में भारत में राज्य या जिला स्तर पर कुष्ठ रोग को समाप्त करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है, इसके उन्मूलन के लिए अनेक मंत्रियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है। स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने जून 2018 में देश को भरोसा दिलाया कि भारत से कुष्ठरोग 2018 के अंत तक समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन समस्या ये है कि कुष्ठ रोग समाप्त होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। खास बात ये है कि इस बीमारी से आदिवासी समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान पाये गये नये कुष्ठ रोगियों की संख्या 135485 है तथा इस रोग के प्रसार की दर मार्च 2017 तक प्रति 10,000 आबादी पर 0.66 प्रतिशत है। राज्यों से प्राप्त आँकड़ों को देखें तो स्थिति और भयावह है। 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' द्वारा सरकारी आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार कुष्ठ रोग भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में फैल रहा है तथा वे लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो समाज के हाशिए पर हैं और वंचित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। आँकड़ों के अनुसार आदिवासियों में कुष्ठ रोग बढ़ने की दर जहाँ 2009 में 13.3 फीसदी थी वो 2017 में बढ़कर 18.8 फीसदी हो गयी है जो खतरनाक स्तर को दर्शाता है। आँकड़ों के अनुसार कुष्ठ रोगियों की संख्या गुजरात में ज्यादा पायी गई है। गुजरात की कुल जनसंख्या में आदिवासियों की संख्या 14.8 हैं, लेकिन कुष्ठ रोग प्रसार की दर समाज के अन्य वर्गों की तुलना में गुजरात के आदिवासियों में 64.9% है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या वहाँ की कुल जनसंख्या का 21% है लेकिन अन्य वर्गों की तुलना में आदिवासियों में कुष्ठरोग का प्रतिशत 39.4% फीसदी है। महाराष्ट्र जहाँ 10% आदिवासी रहते हैं कुष्ठरोग से प्रभावित वहाँ की कुल जनसख्या में 33.7 फीसदी नए आदिवासी कुष्ठ रोगियों की वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल जहाँ आदिवासियों की संख्या मात्र 5.8 फीसदी है वहाँ के आदिवासियों में अन्य लोगों की तुलना में कुष्ठ रोग में 20.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। त्रिपुरा और दादरा नागर हवेली में आदिवासी आबादी क्रमश: 31.8% व 52% है, में 64.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि गुजरात के तापी जैसे जिलों में आदिवासियों में कुष्ठ रोग का आँकड़ा 80% से पार हो गया है। इस जिले में 2010 में जहाँ कुष्ठरोगियों की संख्या 9.37/10000 थी वो 2014 में बढ़कर 17. 16/10000 हो गयी थी।

2010 में भारत में कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ पर कुष्ठ रोग प्रसार दर 5/10000 से अधिक हो लेकिन वर्ष 2017 में ऐसे 4 जिले थे जहाँ पर कुष्ठ रोग प्रसार दर 5/10000 से अधिक थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत में 128 जिले ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या में कुष्ठ रोग प्रसार की दर 1/10000 से अधिक है। मार्च 2017 तक भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 53 जिले ऐसे पाये गए जहाँ की जनसंख्या में कुष्ठ रोग प्रसार की दर 2/10000 से उच्च थी। इन राज्यों में बिहार (4जिले), ओडीसा (8 जिले), छत्तीसगढ़ (15), गुजरात (5 जिले), झारखण्ड (3 जिले), मध्य प्रदेश (2 जिले), महाराष्ट्र (6 जिले), पश्चिम

बंगाल (6 जिले), दादरा एवं नागर हवेली (1 जिला), लक्ष्यद्वीप (1 जिला), और दिल्ली (2 जिले)। यह याद रखना आवश्यक है कि 2010 में 7 राज्यों के 20 जिलों में कुष्ठ रोग प्रसार दर 2/10000 से उच्च थी। आंकड़ों से यह पता चलता है कि उन राज्यों में कुष्ठ रोग तेजी से फैल रहा है जहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। ठण्डे क्षेत्रों की तुलना में गर्म क्षेत्रों में कुष्ठरोग प्रसार की दर अधिक है।

आदिवासी कुष्ठ रोग के प्रति संवेदनशील क्यों हैं?

आदिवासियों में कुष्ठ रोग के निम्न कारण हैं:

- आदिवासियों का सामाजिक ताना बाना बिल्कुल अलग होता है। उनका रहन-सहन निम्न स्तर का होता है।
- आदिवासियों तक चिकित्सकीय सुविधाओं का न पहुँच पाना, या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
- शिक्षा व जागरूकता की कमी।
- गरीबी तथा कुपोषण की समस्या।
- सरकारी इच्छाशक्ति की कमी व प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
- नियमित रूप से दवाओं का सेवन न किया जाना।
- कुष्ठ रोग को दैवीय आपदा मानना।
- वास्तव में कुष्ठरोग को पर्याप्त ध्यान न दिए जाने से ये समाज में वंचित जनसंख्या को अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि बीमारी का उभरता हुआ प्रसार आम जनता की नजरों से दूर है।

"कुष्ठ रोग के प्रति भारत में सोच"

इक्कीसवीं सदी के विकसित होते भारत में कुष्ठ रोग को लेकर लोगों में क्या सोच है, एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। सोलह साल के मोहम्मद शफीक सिद्दिकी घर आए और देखा कि उनका बिस्तर सड़क पर फेंका हुआ है, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब वक्त आ चुका है घर छोड़ने का। 67 साल के सिद्दिकी पार्ट टाइम उर्दू पढ़ाया करते हैं। वो याद करते हैं, "मेरे परिवार ने मुझे नहीं अपनाया और गांव वाले भी मुझे गांव में नहीं देखना चाहते थे। इससे मुझे तकलीफ हुई, इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया।" सिद्दिकी उस वक्त एक नौजवान थे, लेकिन उनका गुनाह 'माफी के लायक' नहीं था। उन्हें कुष्ठ हो गया था। अपने समुदाय से बाहर निकाले जाने के बाद, अब वो ताहिरपुर में कंक्रीट की बनी एक कुटिया में रहते हैं। यह उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में सरकार की बसाई कुष्ठ कॉलोनी है। यहां कई पड़ोसियों की तरह सिद्दिकी का भी इलाज हो गया है। लेकिन चिपटी हुई नाक, हाथ और पैर के साथ ही वो एक तरह का सामाजिक कलंक ढो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहां रहना पड़ रहा है। उनके अलावा यहाँ करीब पांच हजार परिवारों का घर है, जिसे 'ताहिरपुर निवास' कहा जाता है। यह भारत के 800 से ज्यादा कुष्ठ कॉलोनियों में सबसे बड़ा है। यहां रहने के लिए छोटी सी जगह के अलावा, खुली नालियां और कूड़े के ढेर पड़े होते हैं। लेकिन फिर भी, यह भारत में ऐसी सबसे विकसित कॉलोनी है। यहां पक्के मकान, वाटर पंप और टॉयलेट की सुविधा है। यहां की दुकानों से सरकारी राशन मिल जाता है। इसके करीब ही एक स्थानीय एनजीओ है। जहां के लोग नियमित तौर पर इस इलाके का दौरा करते हैं। ऐसी ज्यादातर कॉलोनियां झुग्गियों की तरह होती हैं, जहां लोगों को ठहरने के लिए जगह भर मिल जाती है और वो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है जो देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति को दर्शाती है ऐसे उदाहरण देशभर में लाखों में देखे जा सकते हैं।

सरकारी पहल

भारत में कुष्ठ की समस्या काफी पुरानी है। महात्मा गांधी ने सामाजिक सेवा की शुरुआत कुष्ठ रोगियों की सेवा से की थी। गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों को समाज के अन्य लोगों के बराबर दर्जा दिलाने की कोशिश की थी। भारत में कुष्ठ रोग निवारण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जो निम्न हैं-

1. सन 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। सन 1983 में इसे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के रूप में बदल दिया गया। कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 1993-94 से बढ़ाकर 2003-04 तक कर दिया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन था और इस 1/10,000 की संख्या को कम करना था। इससे कुष्ठ (पीएएल) से प्रभावित व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद मिली।
2. मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) सभी उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में सभी कार्य दिवसों पर नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत के बाद कुष्ठ कार्यक्रम भी मिशन का अनिवार्य हिस्सा रहा है।
4. भारत ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' 2002 में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर दिसंबर 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन (<1/10,000 जनसंख्या पर) का लक्ष्य हासिल करना निर्धारित किया।
5. विकलांगता की रोकथाम और चिकित्सा पुनर्वास गतिविधियों को विकलांगता के साथ कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के सर्जरी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर त्वरित किया गया है। यह सरकार को कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति कम करने में और देश में 33 एनजीओ को आरसीएस सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। 2008-09 में विकलांगता सुधार के लिए 2960 आरसीएस ऑपरेशन आयोजित किए गए।
6. आईईसी गतिविधियों को तेज किया गया है और विशेष आईईसी जनवरी 2008 के बाद से कुष्ठ मुक्त भारत की विषय वस्तु के साथ शुरू किया गया। यह कुष्ठ बोझ को कम करने, मामलों की जल्दी पहचान और कुष्ठ सेवाओं के गुणवत्तापरक उपचार और कुष्ठ के कलंक और भेदभाव को दूर करने पर केंद्रित है।
7. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर 'स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े' का आयोजन किया। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के माध्यम से पल्स पोलियो अभियान के तहत घर-घर जाने वाले स्वास्थ्यकर्मी कुष्ठ रोग की पड़ताल भी करेंगे।
8. हाल ही में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत "कुष्ठरोगी खोजी अभियान" का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम 16-29 जुलाई 2018 को भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुष्ठ रोग को वर्ष 2018 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने भारतीय जन औषधि केंद्र खोल कर गरीबों को सस्ती एवं उच्च स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामीण एवं नगरीय सामुदायिक केंद्रों से कुष्ठरोगी अभियान का क्रियान्वयन कराया जाएगा तथा 16 से 29 जुलाई तक (14 दिन तक) कुष्ठरोगी खोजी अभियान चलाया जाएगा।

आगे की राह

कुष्ठ रोग अभी भी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। सच्चाई ये है कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए आसान रणनीति तथा दवाईयाँ उपलब्ध हैं। फिर भी कुष्ठ रोग के इतने नये मामले सामने आना राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह

लगाते हैं। कुष्ठ रोग को भारत से समाप्त करने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव निम्न हैं:

- सबसे पहले कुष्ठ रोगियों को समाज के मुख्य धारा में लाये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक वे मुख्य धारा में नहीं लौटेंगे तब तक उनका समुचित उपचार संभव नहीं हो पायेगा।
- दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने की आवश्यकता है।
- लोगों विशेषरूप से आदिवासियों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब-तक वे मुख्य धारा में नहीं लौटेंगे तब तक उनका समुचित उपचार संभव नहीं हो पायेगा।
- रोग के प्रति लोगों में जागरूकता के साथ-साथ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- भारत में कुष्ठरोग को समाप्त करने के लिए आजादी के पहले से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं लेकिन स्थिति सुधरने के बजाए और बिगड़ती गई है। इसका मुख्य कारण सरकारी इच्छा शक्ति की कमी व प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। अत: सरकारी इच्छाशक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- कुष्ठ रोग के मरीज दवाओं का सेवन किन्हीं कारणों से नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सरकार द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों, आशा कार्यकताओं, आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से इन मरीजों को नियमित रूप से दवाएँ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- कुष्ठ रोगियों को सहानुभूति के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर और कानूनी अधिकार देने की आवश्यकता है। पूरी तरह ठीक हो चुके, या रोग के चलते विकलांग हो चुके लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. वर्तमान में व्यभिचार बनाम वैवाहिक संस्था

चर्चा का कारण

केंद्र सरकार ने व्यभिचार (अडेल्ट्री) में दंड के प्रावधान को सही बताया है साथ ही ये भी कहा कि इसे समाप्त करना भारतीय मूल्यों के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धारा-497 (व्यभिचार) के लिए दंड के प्रावधान को सही बताते हुए कहा है कि इस प्रावधान को कमजोर या फीका करने से वैवाहिक बंधन की पवित्रता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसा करने से वैवाहिक संबंधों में शिथिलता आएगी। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-497 और सीआरपीसी की धारा-198(2) को खत्म करना भारतीय चरित्र व मूल्यों के लिए हानिकारक होगा। भारतीय मूल्यों में विवाह जैसी संस्था की पवित्रता सर्वोपरि है। केंद्र सरकार ने अपना जवाब केरल निवासी 'जोसफ साइन' द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर दिया है जिसमें याचिका में धारा-497 को निरस्त करने की गुहार की गई है। याचिका में इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण और लिंग विभेद वाला बताया गया है।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि विवाह जैसे संस्थान को बचाने और उसकी पवित्रता को कायम रखने के उद्देश्य से विधायिका ने धारा-497 को कानून में जगह दी थी। भारतीय संस्कृति और इसके अनूठे ढांचे को देखते हुए यह प्रावधान लाया गया था। सरकार ने यह भी कहा कि मालीमथ समिति ने सिफारिश की थी कि धारा-497 को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। यह मसला फिलहाल संविधान पीठ के पास लंबित है। संविधान पीठ 150 वर्ष पुराने कानून की वैधता का परीक्षण कर रही है।

पृष्ठभूमि

आईपीसी की धारा-497 बनने से पहले देश में व्यभिचार के लिए कोई लिखित कानून नहीं था और परंपरा से न्याय होता था। जब मैकाले के सामने विवाह संबंधी अपराधों को संहिताबद्ध करने की बारी आई, तो उनके सामने यह प्रश्न आया कि पत्नी के साथ किसी बाहरी व्यक्ति के यौन संबंध यानी व्यभिचार को अपराध माना जाए या नहीं। भारत की अपराध दंड संहिता यानी आईपीसी लिखने वाले लॉर्ड बैंबिंगटन मैकाले चाहते थे कि वैवाहिक संबंधों में अगर पत्नी और किसी अन्य पुरुष के बीच संबंध बन जाएं, तो इसे अपराध न माना जाए लेकिन मैकाले की इस मामले में नहीं चली और व्यभिचार को आईपीसी में अपराध मान लिया गया एवं भारतीय कानूनों में धारा 497 जुड़ गई।

यह कानून 1860 से लेकर अब तक जारी है तथा इस पर सवाल उठते रहे हैं लेकिन भारतीय न्याय जगत की प्रभावशाली विचारधारा हमेशा इस कानून को बनाए रखने के पक्ष में रही। लॉ कमीशन ने 1971 में पेश अपनी 42वीं रिपोर्ट में इस कानून में दो संशोधन करने के सुझाव दिए पहला, इस अपराध की सजा घटाकर दो साल कर दी जाए और दूसरा, महिलाओं को भी दोषियों की श्रेणी में लाया जाए लेकिन ये सुझाव कभी माने नहीं गए। लॉ कमीशन ने माना कि इस कानून को खत्म करने का समय अभी नहीं आया है।

मलिमथ समिति की रिपोर्ट: न्याय प्रणाली में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिये न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में नवंबर 2000 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की थी। इसमें समिति ने विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा आदि से संबंधित कुल 158 सुझाव दिये। व्यभिचार कानून में संशोधन की सिफारिश करते हुए समिति ने कहा था कि जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ यौन संबंध रखने के लिये दंडित किया जा सकता है, तो महिला को भी दंड के लिये उत्तरदायी होना चाहिये।

केरल निवासी जोसेफ साइन ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका डालकर यह मांग की थी कि व्यभिचार के कानून को बदलकर इस कृत्य को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए क्योंकि दो सहमत वयस्क लोगों के बीच यौन संबंध को अपराध कैसे कहा जा सकता है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान तीन जजों की बेंच ने इस कानून को समीक्षा के दायरे में डाल दिया, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले तीन बार इस कानून पर विचार कर चुका है और हर बार कानून के मौजूदा स्वरूप को बनाए रखने के पक्ष में ही फैसला सुनाया है।

विवाह क्या है?

विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा इनसे जुड़े कुछ अन्य रिश्तों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार यह मुख्य रूप से एक संस्था है जिसमें पारस्परिक संबंध, विशेषकर यौन संबंध, स्वीकार किए जाते हैं या संस्वीकृत होते हैं।

विवाह मानव-समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या समाजशास्त्रीय संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है। यह मानव प्रजाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान जीवशास्त्री माध्यम भी है।

विवाह का महत्व: प्रत्येक समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण कृत्य माना गया है। विवाह के माध्यम से मनुष्य अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करता है। कई धर्मों में बिना पत्नी के व्यक्ति का कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता है अत: धार्मिक कार्यों मे पत्नी की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है।

भारत ही नहीं, सारी दुनिया में जहां भी व्यभिचार के कानून हैं, उसके पीछे एक ही सोच काम करती है। वह यह कि विवाह संस्था को बाहरी पुरुष से बचाया जाए, ताकि होने वाली संतान की खून की शुचिता कायम रहे। यानी यह पता होना चाहिए कि बच्चे का पिता कौन है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पिता की विरासत और पैतृक जायदाद बेटे को ही जा रही है। यह एक तरह से परिवार की पारंपरिक व्यवस्था को बचाए रखने की जुगत है। इसलिए विवाह संस्था के अंदर पति के व्यभिचारी होने को व्यभिचार कानून के दायरे में नहीं रखा गया है क्योंकि विवाह के अंदर जो बच्चा पैदा होगा, उसे पैदा तो महिला करेगी।

वर्तमान स्थिति: आईपीसी का गठन 1860 में हुआ था तब से लेकर आज तक समाज में अनगिनत परिवर्तन आ चुके हैं। अपराधों की शैली में बहुत परिवर्तन आ चुका है, वहीं सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। सामाजिक सम्बन्ध भी व्यक्ति प्रधान हो गए हैं। महिलाएं पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गई हैं। वैवाहिक जोड़ों की परम्परागत भूमिकाओं में भी बदलाव आया है। विवाह, संस्था की बजाय संबंध बन गए हैं इसलिए न तो लिव इन रिलेशनशिप पर किसी को आपत्ति है और न ही तलाक या तलाक के बाद फिर से शादी पर। वक्त और आवश्यकता के अनुसार कानूनों में संशोधन, समीक्षा और पुनर्गठन के साथ-साथ उन्हें निरस्त करने की गुंजाइश भी होनी ही चाहिए।

धारा 497 क्या है?

व्यभिचार अंग्रेजी के जिस शब्द एडल्टरी से आया है, उसका अर्थ ही मिलावट है इस खास संदर्भ में यह खून में मिलावट का अर्थ ग्रहण करता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला का पति व्यभिचार (एडल्टरी) के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है लेकिन वह अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। साथ ही, इस मामले में शामिल पुरुष की पत्नी भी महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवा सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि विवाहेत्तर संबंध में शामिल पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। अगर किसी पुरुष पर अवैध संबंध का आरोप साबित हो जाता है तो इसे अधिकतम पाँच साल की सजा होती है। इस तरह के मामले की शिकायत किसी पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकती बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है और उसी के सामने सारे सबूत पेश करने होते हैं। सबूत पेश होने के बाद संबंधित व्यक्ति को समन भेजा जाता है।

धारा 497 के मुख्य प्रावधान:

1. व्यभिचार होना तभी माना जाएगा जब पति मुकदमा करेगा। यह मुकदमा पत्नी नहीं कर सकती। पति अगर विवाहेत्तर संबंध रखे, तो उसे कानून व्यभिचारी नहीं मानता।
2. व्यभिचार के मुकदमे में पत्नी या महिला को आरोपी पक्ष नहीं बनाया जाएगा। यानी व्यभिचार की सजा सिर्फ पुरुष को मिल सकती है।
3. अगर पत्नी का किसी और पुरुष से यौन संबंध, पति की सहमति से है, तो उसे व्यभिचार नहीं माना जाएगा।
4. व्यभिचार के मामले में सजा विवाह संबंध से बाहर के आदमी को ही हो सकती है। विवाह संबंध से बंधे लोगों का कोई भी यौन संबंध व्यभिचार नहीं है।
5. अगर कोई पुरुष किसी अविवाहित महिला से यौन संबंध बनाता है, तो किसी भी स्थिति में इसे व्यभिचार नहीं माना जाएगा।

क्या है विवाद?: केरल निवासी जोसेफ साइन ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कानून के तहत न तो महिला को व्यभिचारी माना जाता है, न ही उकसाने वाला। उसे हर परिस्थिति में पीड़ित ही माना जाता है इसलिए यह कानून भेदभावपूर्ण है। न्याय की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कानूनन किसी को दोषी मान लेना और किसी को निरपराध, यह मनुष्य के सामान्य नागरिक सिद्धांतों के ही नहीं, लोकतंत्र के भी विरुद्ध है। कानून के जरिये न्याय पाने का हक सबको है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यह ठीक है कि अपने समाज में औरतें बड़ी संख्या में सताई जाती हैं, मगर वे किसी को नहीं सतातीं, यह मान लेना भी ठीक नहीं है। जन्मना किसी को दोषी मान लेना और किसी को देवत्व प्रदान करना, इस सदी का न्याय तो नहीं ही हो सकता। जनगणना की रिपोर्ट्स और एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें, तो पुरुष भी बड़ी संख्या में हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। महिलाओं की रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वहां अक्सर आरोप लगते ही पुरुष को अपराधी साबित कर दिया जाता है। जांच-पड़ताल से पहले ही किसी को दोषी मान लेना न्याय और बराबरी के विरूद्ध है।

आज के दौर में जब लोग लिव इन में रहते हैं, एक संबंध के अलावा बहुत से संबंध भी रखते हैं, उसमें क्या सिर्फ पुरूष ही ऐसा करते हैं? इसलिए होना तो यह चाहिए कि कानून हर उस व्यक्ति को न्याय दे, जो सताया गया है एवं परेशान है। कानून पर किसी एक वर्ग या एक लिंग की इजारेदारी न हो। जब हम समाज में स्त्री-पुरुष की बराबरी की बात करते हैं तो कानून की तुला पर भी दोनों को बराबर होना चाहिए। इन दिनों अक्सर जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। जो कानून लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है। विवाह की पवित्रता सिर्फ पुरुष को ही सजा देकर नहीं बनी रह सकती।

अन्य देशों में स्थिति: भारत में व्यभिचार कानून का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया, लेकिन खुद ब्रिटेन में व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता है। यद्यपि वहाँ तलाक के लिये इसे एक कारण माना गया है, लेकिन किसी को इस बात की सजा नहीं दी जा सकती कि उसने किसी विवाहित महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किये हैं। अमेरिका के 21 राज्यों में व्यभिचार

दंडनीय अपराध है, लेकिन वर्ष 2003 में जब से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन संबंध अपराध नहीं है, तब से व्यभिचार के कानून के तहत किसी को आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। यूरोप में अधिकांश देश व्यभिचार को अपराध नहीं मानते हैं, किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसे तलाक के आधार के तौर पर एक कारण जरूर माना जाता है। कुल मिलाकर, विकसित देशों मे स्थिति यह है कि या तो वहाँ व्यभिचार का कोई कानून नहीं है, या फिर जहाँ कानून है भी तो वहाँ इसका इस्तेमाल न के बराबर होता है। कुछ देशों में कानून की किताबों में व्यभिचार सिर्फ इस वजह से है, क्योंकि यह तलाक का आधार है। विकसित देशों में यह मान लिया गया है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाला यौन संबंध गलत या अनैतिक तो हो सकता है, लेकिन इसे अपराध के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता।

आगे की राह

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 497 के भीतर अस्पष्टताएँ मौजूद हैं। किसी अविवाहित महिला के साथ विवाहित पुरुष द्वारा संबंध बनाने पर तथा विवाहेत्तर समलैंगिक संबंधों पर इस कानून की औचित्यता स्पष्ट नहीं है। यह धारा केवल उस व्यक्ति के खिलाफ लागू होती है जो इस तरह के अपराध करता है, जबकि स्वेच्छा से शामिल महिला को इस कानून से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह के कानून का लाभ उस पत्नी को नहीं दिया गया है जिसका पति किसी और महिला के साथ इस तरह के अपराध में संलग्न है। अब वक्त आ गया है की कानूनी धारा को समाप्त किया जाये या समय के अनुसार इसमें संशोधन किया जाये। यदि इस कानून के तहत संलिप्त महिला को भी अपराधी माना जाए तो इसके परिणामस्वरूप पीड़ित पत्नियाँ भी अपने पतियों के व्यभिचार के लिये उस महिला पर मुकदमा कर पाएंगी। विवाह संस्था को इससे मजबूती मिलेगी, लेकिन इस वजह से महिलाओं की बड़ी संख्या में मुकद्मेबाजी में फँसने की आशंका भी है। हालाँकि यह विवादित धारा इस तर्क की पुष्टि नहीं करती कि यह विवाह को बचाने के लिये है क्योंकि यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता है तब यह किस प्रकार विवाह को बचा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

6. नगरों में कूड़े के पहाड़ः एक चुनौती

चर्चा का कारण

हाल ही में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल से पूछा है कि इन कूड़े के पहाड़ों को हटवाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, आखिर क्या वजह है कि कूड़े के पहाड़ नहीं हट रहे हैं, बल्कि इनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस बार काफी कड़ा रूख दिखाते हुए अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उचित प्रयास करने का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

दो दशक से ज्यादा समय से दिल्ली की जनता कचरे के इन पहाड़ों को झेल रही है। इससे यही लगता है कि पिछले दो दशकों में किसी भी सरकार ने कचरा प्रबंधन के मामले में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो शहर को कचरा मुक्त बनाने में सहायक होता। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बनते चले गए कहा जा सकता है कि कचरा निपटान के मामले में अब तक की सरकारें और प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि कचरे का निस्तारण करवाना आखिर काम किसका है। यही

बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछी है। इस समय गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई पैंसठ मीटर हो चुकी है, जो कुतुबमीनार से सिर्फ आठ मीटर कम है। यह गंभीर स्थिति की ओर इशारा है, जिस पर सरकार गंभीर नजर नहीं आती। दिल्ली का कचरा निपटाने के लिए ढाई-तीन दशक पहले गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में सेनेटरी लैंडफिल बनाए गए थे। मगर ये कूड़ाघर तय अवधि से पांच साल पहले ही भर गए। उसके बाद ये पहाड़ में तब्दील होने लगे। पिछले साल गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे दो लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि यह पहाड़ पिछले कई सालों से खतरे की ओर इशारा कर रहा था। अब यह दिल्ली और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण का बड़ा कारण है। इसके कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसें कितनों को बीमार बना चुकी होंगी। इसका कोई हिसाब नहीं है। कचरे के पहाड़ सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। गाजीपुर में इसके कारण पानी भी जहरीला हो गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन में दिल्ली द्वारा किए गए कार्य

दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन पर अदालत की फटकार के बाद सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कार्यभार संभालते ही भलस्वा, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट प्लांट बुराड़ी और शास्त्री पार्क का दौरा किया था। जनवरी में इसे लेकर पहली समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल ने तीनों एमसीडी के आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वह लैंडफिल साइटों पर अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाएं। कूड़े के पहाड़ की समस्या को भी वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाए। इसके साथ ही उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की साइंटिफिक एडवाजरी कमेटी का भी गठन किया गया। इसमें आईआईटी, सीएसआईआर और टेरी के विशेषज्ञ हैं। जनवरी महीने में ही समीक्षा बैठक में विस्तृत योजना बनाई गई। कूड़े के पहाड़ वाले लैंडफिल साइट को बंद करने और 34 मिलियन

मीट्रिक टन कूड़े के प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली एमसीडी के तेहखंड में 25 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इससे कूड़ा निस्तारण होगा। अगले साल दिसम्बर में यह प्लांट शुरू हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली एमसीडी में ठोस कचरे के निस्तारण के लिए गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता वाला प्लांट भी कूड़ा निस्तारण के लिए लगाया जा रहा है। एलजी अनिल बैजल का कहना है कि आने वाले दो सालों में दिल्ली के तीनों बड़े लैंडफिल साइटों पर कूड़ा डलना बंद हो जाएगा। साथ ही आने वाले वर्षों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से दिल्ली में 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। एलजी ने कहा कि नियमित रूप से कूड़े के निपटान की योजना की समीक्षा और निगरानी की जा रही है और तीनों नगर निगमों को कूड़े के ढेर के प्रबंधन और रोजाना उत्पन्न कूड़े के निस्तारण और कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

नगरों में बढ़ता अपशिष्ट एक चुनौती

देश के अधिकतर बड़े और मध्यम शहरों तथा कस्बों में आमतौर पर छोटे पहाड़नुमा अशोधित शहरी कचरे के ढ़ेर नजर आते हैं। इसका परिणाम यह है कि लगभग सभी शहरों में यह कूड़े के ढ़ेर स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा बन गए हैं, इनमें वे शहर भी शामिल हैं जो अभी तक कचरे के निपटान के प्रभावी तरीके विकसित नहीं कर पाये हैं।

इस समस्या पर नियंत्रण के लिये भारत सरकार ने क्षेत्र-आधारित विकास और शहरी स्तर के स्मार्ट समाधान के माध्यम से जीवन में सुधार के लिए स्वच्छ भारत अभियान (एबसीए) और स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) शुरू किया था। तीन साल का कार्य एजेंडा (2017-18 से 2019-20) तैयार करने में नीति आयोग ने नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिये भी व्यापक ढांचा तैयार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस दिशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। देशभर में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 मिलियन टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है। भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है। प्रतिवर्ष 43 मिलियन टन कचरा एकत्र किया जाता है, जिसमें से 11.9 मिलियन टन संशोधित किया जाता है और 31 मिलियन टन कचरे को लैंडफिल साइट में डाल दिया जाता है। नगर निगम अपशिष्ट का केवल 75-80 प्रतिशत की एकत्र किया जाता है और इस कचरे का केवल 22-28 प्रतिशत संशोधित किया जाता है। उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा मौजूदा 62 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2030 में लगभग 165 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। शहरों में ठोस कचरे की मात्रा विगत 5 वर्षों में तीन गुना बढ़ गई है। देश के अधिकांश शहरों में बढ़ते कचरे के शोधन की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। शहरों में उत्पन्न होने वाले कचरे का 65% स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आता है। आज कचरा निस्तारण और लैंडफिल साइट नासूर बन गयी हैं और 2021 तक यह और विकराल रूप लेने वाली हैं। दिल्ली में अब तक 16 लैंडफिल साइट पूरी तरह भर चुकी हैं। जबकि चार में अभी कचरा डाला जा रहा है। चार नई साइट शुरू की जानी हैं। जहाँ तक कचरे की मात्रा का सवाल है तो 2002 में दिल्ली का कुल कचरा 5,543 टन प्रतिदिन था जबकि 2021 तक 15,750 टन प्रतिदिन हो जाएगा।

अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं?

अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस सम्पूर्ण श्रृंखला से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण व परिवहन के साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। उक्त प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न चरणों यथा संग्रहण परिवहन उपचार और निगरानी के साथ निस्तारण को भी शामिल किया जाता है।

अपशिष्ट पदानुक्रम तीन-आर (3-r's) का अनुसरण करता है- जो न्यूनीकरण (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) और पुनर्चक्रण (Recyclce) के रूप में संदर्भित किये जाते हैं। ये तीनों R अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपशिष्ट न्यूनीकरण के संदर्भ में उनकी वांछनीयता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं।

नगरपालिका अपशिष्ट पदार्थ क्या है

नगरपालिका अपशिष्ट पदार्थ (MSW) शब्द का प्रायः इस्तेमाल शहर गाँव या कस्बे के कचरे के लिए किया जाता है जिसमें रोज के कचरे को इकट्ठा कर व उसे ढुलाई के द्वारा निपटान क्षेत्र तक पहुंचाने का काम होता है। नगरपालिका अपशिष्ट पदार्थ (MSW) के स्रोतों में निजी घर 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ओर संस्थाओं के साथ-साथ औद्योगिक सुविधाएं भी आती हैं हालांकि, MSW औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकले कचरे निर्माण और विध्वंस के मलबे मल के कीचड़ खनन अपशिष्ट पदार्थों या कृषि संबंधी कचरे को अपने में शामिल नहीं करता है। नगरपालिका अपशिष्ट पदार्थों में विविध प्रकार की सामग्री आती है। इसमें खाद्य अपशिष्ट जैसे सब्जियाँ या बचा हुआ मांस, बचा हुआ खाना, अंडे के छिलके आदि जिसे गीला कचरा कहा जाता है और साथ ही साथ कागज, प्लास्टिक, टेट्रापेक्स, प्लास्टिक के डिब्बे, अखबार, काँच की बोतले, गत्ते के डिब्बे, एल्युमिनियम की पत्तियाँ, धातु की चीजें, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि जिसे सूखा कचरा कहा जाता है जैसे-अपशिष्ट आते हैं।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति

- भारत में प्रतिदिन 150,000 टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municiple Solid Waste-MSW) पैदा होता है। मुम्बई सर्वाधिक कचरा पैदा करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शहर है।
- वर्तमान में केवल 83% कचरा इकट्ठा किया जाता है और 30% से कम कचरा उपचारित किया जाता है।
- विश्व बैंक के मुताबिक 2025 तक भारत का दैनिक अपशिष्ट उत्पादन 377,000 टन तक पहुंच जाएगा।
- इसके लिये भले ही शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को दोषी ठहराया जाए, लेकिन भारत के बड़े शहरों द्वारा पैदा किया जाने वाला कचरा एक वास्तविक और मूर्त संकट है।

क्यों आवश्यक है MSW प्रबंधन?

- अपशिष्ट समस्या शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिये कई सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रस्तुत करती है, जिनमें MSW प्रबंधन प्रमुख समस्या है। यह तो सर्वविदित है ही कि शहरी अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है।
- इसके अतिरिक्त आजीविका के लिये कचरे के संग्रहण, छंटनी और व्यापार में अनौपचारिक रूप से कार्यरत कूड़ा-कचरा बीनने वाले हजारों लोगों की दुर्दशा भी एक समस्या है।
- एक अनुमान के अनुसार, कूड़ा-कचरा बीनने वाले प्रतिवर्ष नगरपालिका के बजट के लगभग 14% हिस्से की बचत कराते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी के रूप में हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहे हैं।

- MSW प्रबंधन की आवश्यकता को दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर किये जाने वाले अपशिष्ट दहन की समस्या से समझा जा सकता है। यह अपशिष्ट दहन वायु प्रदूषण की समस्या का मुख्य अवयव है।

कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित 6 नियम

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले वर्ष कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित 6 नियम अधिसूचित किए थे:
  1. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016
  2. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016
  3. बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन नियम, 2016
  4. निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016
  5. खतरनाक और अन्य कचरा (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016
  6. ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016

अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ

हमारे देश में फिलहाल कचरा प्रबंधन का तरीका दशकों पुराना है, जिसमें कूड़े के निस्तारण का अर्थ केवल इतना है कि उसे अमीरों के स्थान से उठाकर गरीबों के रहने के स्थान के निकट डाल दिया जाता है। कचरे का हमारे देश में निस्तारण के बजाय ट्रांसपोर्टेशन होता है-गली-मोहल्लों से छोटे ढलाव तक, उसके बाद बड़े ढलाव की तरफ और वहां से लैंडफिल की ओर कचरा ले जाया जाता है। कचरा निस्तारण की मौजूदा विधियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। शहरी स्थानीय निकाय कचरा प्रबंधन पर 500 से 1500 रूपए प्रति टन खर्च करते हैं। इसमें से 60 से 70 प्रतिशत कूड़ा एकत्रित करने में तथा शेष 20 से 30 प्रतिशत एकत्रित कचरे को लैंडफिल तक ले जाने में खर्च होता है, जिसके बाद कचरा प्रबंधन और निपटान पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं बचता। हमें यह समझना होगा कि कचरे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना कचरा प्रबंधन नहीं है। आज से 15 साल बाद देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 70 शहर होंगे और इनमें कचरा निस्तारण की आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग करना होगा।

शहरों में कचरों का पहाड़ खड़ा होने से रोकने के लिये सबसे पहले तो यह प्रयास करना होगा कि कचरे के उत्पादन में कमी लाई जाए। इसके साथ-साथ हम अपशिष्ट प्रबंधन में केरल मॉडल को भी अपना सकते हैं। देश में केरल में कचरा प्रबंधन के वैकल्पिक मॉडल पर काम चल रहा है। इसके लिये लोगों को घरेलू स्तर पर अपना कचरा अलग-अलग करना होता है और जहाँ तक संभव हो उसको स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाता है। कचरा प्रबंधन का ऐसा मॉडल की एकमात्र उपाय है जिसमें कचरे को स्रोत पर ही अलग कर बाद में समुचित और किफायती तकनीक के जरिये निपटाया जा सके। इसके साथ ही हम कचड़ा निस्तारण की पुरानी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया का MSW प्रबंधन मॉडल को भी हम अपने देश में लागू कर सकते हैं क्योंकि दक्षिण कोरिया की अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था दुनिया की सबसे परिष्कृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। पिछली आधी शताब्दी में तेजी से औद्योगिकीकरण के बावजूद दक्षिण कोरिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का ऐसा एकमात्र देश है जिसने सकल घरेलू उत्पाद में पांच गुना वृद्धि के बाद भी MSW को 40% तक कम करने में सफलता पाई है।

इसके साथ ही सार्वभौमिक रूप से कचरा प्रबंधन के चार मूलभूत सिद्धांत चार R हैं-Reduce= कचरा उत्पादन में कमी लाना; Reuse=कचरे को पुनः उपयोग योग्यता बनाना; Recycle=कचरे का पुनः चक्रण; Refuse= लेने से मना करना। इसका उपयोग कर कचरा प्रबंधन को अपना सकते हैं। अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं निस्तारण से संबंधित नवीन वैधानिक प्रावधान इन्हीं संदर्भों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हुए पहले से चल रहे विभिन्न नियमों में कुछ बदलाव किये हैं।

अतः इन बदलावों को तत्काल प्रभाव में लाना चाहिए।

आगे की राह

नगरों में बढ़ता अपशिष्ट एक चुनौती बनता जा रहा है इनका अगर समय से निस्तारण नहीं किया गया तो नगरों को भयानक स्वास्थ्य व पर्यावरणीय चुनौतियाँ झेलनी पडेंगी अतः सरकार एवं समाज को एक साथ कार्य करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन की नई तकनीकों को अपनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. दौड़ में आगे निकलती भारतीय अर्थव्यवस्था

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस सूची में वर्ष 2017 में 2.59 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ फ्राँस से आगे स्थान प्राप्त किया है वहीं आंकड़ों के अनुसार फ्राँस का सकल घरेलू उत्पाद 2.58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनियाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी GDP 19.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है इसके बाद चीन का स्थान आता है वहीं ब्रेक्जिट का सामना करने वाले यूनाइटेड किंगडम का सकल घरेलू उत्पाद 2.62 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था जोकि भारत की तुलना में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। ज्ञात हो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस देश की स्थिति किस स्थान पर है इसका आकलन देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर किया जाता है। और यह सूची वर्ष 2017 के GDP आंकड़ों पर आधारित है। यदि हम इसी अनुमानित दर से आगे बढ़ते रहे तो इस बात की काफी संभावना है कि अगले साल हम ब्रिटेन से आगे होंगे।

पृष्ठभूमि

भारत एक समय मे सोने की चिड़िया कहलाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर दसवीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% था; एवं 1700 के आस-पास यह 24.4% हो गया इसके पश्चात कालांतर में ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में आजादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरी इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई।

आजादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ-साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया। 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार ने वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरु की जिसके बाद धीरे धीरे भारत विदेशी पूँजी निवेश का आकर्षण केंद्र बना और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। वैश्विकरण के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरम्भ हुआ। इसके बाद से भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। अप्रत्याशित रुप से वर्ष 2003 में भारत ने 8.4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का एक संकेत समझा गया। यही नहीं 2005-06 और 2007-08 के बीच लगातार तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त की। कुल मिलाकर 2004-05 से 2011-12 के दौरान भारत की वार्षिक विकास दर औसतन 8.3 प्रतिशत रही किंतु वैश्विक मंदी की मार के चलते 2012-13 और 2013-14 में 4.6 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गई। अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने "क्रयशक्ति समानता" (परचेजिंग पावर पैरिटी) के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। बैंक के इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम (आईसीपी) के 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया है। 2005 में यह 10वें स्थान पर थी। 2003-2004 में भारत विश्व में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के राष्ट्रीय लेखों के डाटाबेस, दिसम्बर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10 और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत विश्व में 161वें स्थान पर था। लेकिन वर्ष 2014 के उपरांत साल दर साल भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होता गया और वह धीरे-धीरे 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी।

भारतीय अर्थव्यस्था के बारे में विभिन्न वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट

2018 में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा भारत-आईएमएफः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2019 में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इस अवधि में भारत एक बार फिर विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरेगा। आईएमएफ का कहना है कि मजबूत रफ्तार, अनुकूल बाजार धारणा के साथ अन्य कारणों से वैश्विक वृद्धि दर बेहतर रहेगी। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में निवेश में सुधार, उभरते एशिया में मजबूत वृद्धि, उभरते यूरोप में उल्लेखनीय सुधार और कई जिंस निर्यातकों की स्थिति सुधरने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ेगी।

विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान-विश्व बैंकः विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही विश्व बैंक का मानना है कि आने वाले दो वर्षों में भारत की ग्रोथ रेट बढ़कर 7.5 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगी। रिपोर्ट का मानना है कि देश वर्ष 2016 में लागू हुई नोटबंदी और एक जुलाई, 2017 को लागू जीएसटी के नकारात्मक असर से बाहर आ चुका है। विश्व बैंक के साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस (एसएईएफ) रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश की विकास दर 2019-20 और 2020-21 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी।

जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद-सीआईआईः भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.3 प्रतिशत से लेकर 7.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यह अनुमान कृषि व गैर-कृषि गतिविधियों समेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की मांग में मजबूती आने और दुनियाभर में बेहतर विकास का माहौल रहने की संभावनाओं पर आधारित है। ग्रामीण भारत में कृषि और गैर-कृषि गतिविधियां बेहतर होंगी। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक परिवेश भी बेहतर रहेगा।

इस साल 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था-एडीबीः एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत जबकि अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। बैंक का अनुमान है कि जीएसटी के कारण उत्पादन में वृद्धि और बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के कारण निवेश से आर्थिक विकास दर को गति मिलेगी। रेटिंग एजेंसी फिंच का भी यही अनुमान है। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार माजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र ने बताया अर्थव्यवस्था के विकास को सकारात्मकः संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सकारात्मक बताया है। यूएन ने साल 2018 में भारत की विकास दर 7.2 और 2019 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में यूएन ने कहा गया है कि भारी निजी उपभोग, सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों के कारण साल 2018 में भारत की विकास दर वर्तमान के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो जाएगी और ये विकास दर साल 2019 में 7.4 प्रतिशत तक पहुंचेगी। 'वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2018' रिपोर्ट में यूएन ने कहा है कि कुल मिला कर दक्षिण एशिया के लिए आर्थिक परिदृश्य बहुत अनुकूल नजर आ रहा है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को सभी वैश्विक एजेंसियों द्वारा एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है।

भारतीय अर्थव्यवथा की वृद्धि के करण

विश्व-बैंक ने इस रिपोर्ट में कहा की भारत ने यह वृद्धि इसलिए भी की है, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी जैसे ऐतिहासिक फैसलों के चलते विनिर्माण क्षेत्र में गति आई है। नतीजतन लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी है। यही शक्ति अर्थव्यवस्था को छठे पायदान पर पहुंचाने में सक्षम हुई है। इसके साथ साथ निम्न क्षेत्रों में भी विकास देखने को मिला जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने यह स्थान प्राप्त किया।

विनिवेश में वृद्धिः प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था के कारण सरकार ने पहली बार विनिवेश के जरिये एक बड़ी रकम जुटाई है। वित्त वर्ष 2017-18 में अभी तक विनिवेश से 54,337 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। यह एक रिकॉर्ड है। इससे उत्साहित वित्त मंत्री आम बजट 2018-19 में विनिवेश के जरिये लगभग एक लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख सकते हैं। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचकर भी अच्छी खासी रकम जुटाई है। साथ बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराकर भी धनराशि प्राप्त की गयी है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विकाशः देश में दिसंबर, 2017 में भी मैन्युफैक्चरिंग ऐक्टिविटीज में तेजी का रुख रहा। नये ऑर्डरों और उत्पादन में तेज बढ़ोतरी के दम पर देश के विनिर्माण क्षेत्र ने दिसंबर में तेज उड़ान भरी और इसका निफ्टी पीएमआई सूचकांक नवंबर के 52.6 से बढ़कर 54.7 पर पहुँच गया। दिसंबर में उत्पादन वृद्धि की रफ्तार पांच साल में सबसे तेज रही जबकि नये ऑर्डरों में अक्टूबर 2016 के बाद की सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गयी। कंपनियों ने नये रोजगार भी दिये और रोजगार वृद्धि दर अगस्त 2012 के बाद के उच्चतम स्तर पर रही।

विदेशी ऋण में कमीः केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण 13.1 अरब डॉलर यानि 2.7% से घटकर 471.9 अरब डॉलर रह गया है। यह आंकड़ा मार्च, 2017 तक का है। इसके पीछे प्रमुख वजह प्रवासी भारतीय जमा और वाणिज्यिक कर्ज में गिरावट आना है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2017 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और विदेशी ऋण का अनुपात घटकर 20.2% रह गया जो मार्च 2016 की समाप्ति पर 23.5% था। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म विदेशी कर्ज 383.9 अरब डॉलर रहा है जो पिछले साल के मुकाबले 4.4% कम है।

ईज आफ डूइंग बिजनेस में वृद्धिः देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज और देश में बेहतर कारोबारी माहौल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इसी प्रयास के अंतर्गत 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नीति देश में कारोबार को गति देने के लिए एक बड़ी पहल है। इसके तहत बड़े, छोटे, मझोले और सूक्ष्म सुधारों सहित कुल 7,000 उपाय (सुधार) किए गए हैं। सबसे खास यह है कि केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद की संकल्पना को साकार रूप दिया गया है।

पारदर्शी नीतियां, परिवर्तनकारी परिणामः कोयला ब्लॉक और दूरसंचार स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया से कोयला खदानों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत 82 कोयला ब्लॉकों के पारदर्शी आवंटन के तहत 3.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई।

जीएसटी विकास में सहायकः जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड, ऑनलाइन ईएसआइसी और ईपीएफओ पंजीकरण जैसे कदमों ने कारोबारी माहौल को और भी बेहतर किया है। खास तौर पर 'वन नेशन, वन टैक्स' यानि GST ने सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं को दर्जनों करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक कर के दायरे में लाया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विधमान चुनौतियाँ

आज कच्चे तेल के दाम और ट्रेड वार की वजह से हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। अप्रैल में कच्चे तेल के दाम 66 डॉलर प्रति बैरल थे, जो अब 75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं।

देश में बढ़ती आय असमानताः जैसे-जैसे भारत की विकाश दर तेज हो रही है भारत में असमानता की दर बढ़ रही है। हाल ही में जारी 'द वाइडेनिंग गैप्सः इंडिया इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2018' में कहा गया है कि आय, उपभोग और धन के मानकों पर भारत विश्व के असमान स्थिति वाले देशों में उच्च क्रम में आता है और इन हालातों के लिए सरकारों की असंतुलित नीतियों को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते विकास के दौर में आर्थिक असमानता को रोका जा सकता है। लैटिन अमेरिका और पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक असमानता कम हो रही है। जबकि भारत उन देशों की कतार में खड़ा है जहां आर्थिक असमानता पहले से बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अचानक से नहीं हो रहा है। श्रम की जगह पूंजी को समर्थन देने वाली विशिष्ट नीतियों और अकुशल श्रम की जगह कुशल श्रम को बढ़ावा देने वाली नीतियों के चुनाव भारत में इस विकास के लिए जिम्मेदार है।

कृषि पर निर्भरताः भारत की लगभग 53 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यो में लगी है। जबकि कृषि का कुल जीडीपी में योगदान मात्र 17% है। आज भी कृषि को आधुनिक रूप से यंत्रीकृत नहीं किए जा सका है अधिकांश क्षेत्रों में आज भी पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है।

अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएंः अधोसंरचनात्मक सुविधाओं में ऊर्जा, परिवहन व संचार आदि सुविधाओं को शामिल किया जाता है, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं कृषि एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करती हैं। आज भी भारत में इन सुविधाओं की अपर्याप्त वृद्धि हुई है।

आय का निम्न स्तरः भारत ने प्रति व्यक्ति की आय कम है। आय का यह स्तर उपभोग व रहन सहन के निम्न स्तर को दर्शाता है। भारत में उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आय कम है। भारत में आय की असमनताएं है। लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है अर्थात् न्यूनतम पोषण आहार भी नहीं मिल रहा है। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 1951 में जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तब मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर से संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कम हुई है।

पूँजी की कमीः भारत में आय का स्तर कम होने से बचत में कमी होती है जिससे पूंजी निर्माण की दर भी कम होती है। पूंजी की कमी से अन्य संसाधन जैसे श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नही हो पाता है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन पूंजी के अभाव में इनका उपयोग पूरा नही हो पाता है।

ऊँची निरक्षरता दरः भारत में निरक्षरता का प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है। महिलाओं में यह दर और भी कम है।

जीवन व कार्य के प्रति रूढ़ीवादी दृष्टिकोणः भारतीय समाज में बहुत सी जातियाँ व उप जातियाँ है, जिनमें संघर्ष होता रहता है। धार्मिक व सामाजिक विश्वास व परम्पराएँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक होती हैं। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। रूठिवादिता, धर्म आदि के कारण विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए अहम है, क्योंकि उसने एक विकसित देश को पीछे किया है। इसके बावजूद भारत अभी भी विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो पाया है। क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में वे आर्थिक असमानताएं हैं, जो भुखमरी और कुपोषण का कारण बनी हुई हैं। यदि आम आदमी या प्रतिव्यक्ति की आमदनी के हिसाब से सर्वे का आंकलन किया जाए तो भारत अभी भी फ्रांस से बहुत पीछे है। भारत की आबादी इस समय 1.34 अरब है। जबकि इसकी तुलना में फ्रांस की आबादी महज 6.7 करोड़ है। भारत का यदि जीडीपी का प्रति व्यक्ति के हिसाब से आकलन किया जाए तो फ्रांस में प्रतिव्यक्ति की आमदनी भारत से 20 गुना ज्यादा है। आमदनी का यह अंतर जाहिर करता है कि हम जीवन को खुशहाल बनाने के संसाधन उपलब्ध कराने में इन देशों से बहुत पीछे हैं। अतः आर्थिक संवृद्धि के साथ साथ विकास को भी ध्यान में रखना होगा भारत में 2017 में कुल संपत्ति के सृजन का 73 प्रतिशत हिस्सा केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के हाथों में है इस सर्वेक्षण में भारत की आय में असामनता की चिंताजनक तस्वीर पेश की गई थी। आर्थिक असमानता की खाई को भी दूर करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

शहरी अवसंरचनाः म्युनिसिपल बॉण्डों की बढ़ती भूमिका

प्र. अन्य वैश्विक उदाहरणों की अपेक्षा भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड सफल नहीं रहे हैं। विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए समस्या समाधान के उपाय बतायें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों?
- कुछ वैश्विक उदाहरण
- भारत में स्थिति
- भारत में लोकप्रिय न होने के कारण
- लोकप्रिय बनाने का उपाय
- आगे की राह

चर्चा में क्यों?

- मध्य प्रदेश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपने म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला पहला प्रदेश बना।
- इंदौर नगर निगम ने 170 करोड़ रुपये के नगरपालिका बॉण्ड जारी किये।

कुछ वैश्विक उदाहरण

- पश्चिमी देशों में म्युनिसिपल बॉण्ड काफी सफल रहे हैं। चीन व दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में भी इन बॉण्डों को अच्छी खासी लोकप्रियता प्राप्त है।

भारत में स्थिति

- भारत में लोकप्रियता काफी कम है।
- भारत में अभी तक 14 शहरी निकायों की तरफ से केवल 30 म्युनिसिपल बॉण्ड ही जारी किए गए हैं और इस दौरान केवल 1500 करोड़ रुपये ही जुटाये जा सके हैं।

अलोकप्रियता के कारण

- नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार
- नगर निकायों की कार्यशैली में अपारदर्शिता व विभिन्न अवसंरचनात्मक योजनाओं में लेटलतीफी।
- नगरपालिका बॉण्डों के प्रति लोगों में विश्वास की कमी।
- म्युनिसिपल बॉण्डों के व्यापार के लिए द्वितीयक बाजार की कमी।
- इन बॉण्डों के द्वारा सीमित मात्रा में रिटर्न मिलना एवं नगर निगमों की निम्न क्रेडिट होना चुनौती है।

लोकप्रिय बनाने के उपाय

- पेंशन फंड व बीमा के नियामक को अपनी विनियमित संस्थाओं को नगरपालिका बॉण्ड में निवेश करने की अनुमति देनी चाहिये।
- नगर निगमों की कार्यशैली में पारदर्शिता लानी होगी।
- ऐसे बॉण्डों की एक न्यूनतम परिपक्व अवधि व न्यूनतम निवेश रेटिंग सुनिश्चित करनी होगी।
- इन बॉण्डों की गारण्टी प्रदान करने वाले एक निकाय की स्थापना करनी होगी जिससे लोगों में इनको लेकर विश्वास बढ़े।

आगे की राह

- भारत में शहरी अवसंचनात्मक विकास के लिये 2031 तक 40 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता है।
- इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये म्युनिसिपल बॉण्ड एक अच्छा उपकरण साबित होगा पर उसके लिये इन बॉण्डों के प्रति लोगों में विश्वास पैदा किया जाना आवश्यक है। ■

सरकारी एलान और एमएसपी की एबीसीडी

प्र. सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा और उस दिशा में उठाये गये कदमों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों
- एमएसपी की अवधारणा
- किसानों के लिए अन्य योजनायें
- चिंतायें
- आगे की राह

संदर्भ

- कैबिनेट द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। धान के मूल्य में 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोत्तरी की मंजूरी दी है।

MSP की अवधारणा

- भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और व्यापार में कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार सीएसीपी की सिफारिशों पर एमएसपी मूल्य जारी करती है।

- MSP में बढ़ोत्तरी करके सरकार किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

किसानों के लिए अन्य योजनायें

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें
- सिंचाई योजना
- विभिन्न कुटीर उद्योगों को बढ़ावा साथ ही पशुपालन, मुर्गी पालन, बागानी कृषि आदि को बढ़ावा।

चिंतायें

- बिचौजियों की उपस्थिति के कारण लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पाता।
- MSP की दर पर सरकार द्वारा बहुत थोड़ी खरीद की जाती है। अधिकांश किसान इसकी पहुँच से दूर हैं।
- सरकार द्वारा अधिकांश खरीद पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कर ली जाती है।
- MSP की नीति के कारण पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है।
- घोषित इजाफा बहुत कम है, क्योंकि यह A2+FL आधारित है। इसके साथ ही हकीकत यह है कि हमारे देश के 33 फीसदी किसानों की पहुँच MSP तक भी नहीं है।

आगे की राह

- APMC सुधार लागू किये जाये।
- शांताकुमारन समिति की अनुसंशायें लागू की जाये।
- अवसंरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा दिया जाये।
- कृषि के फारवर्ड एवं वैकवर्ड लिंकेजों को स्थापित करना होगा। ■

एक उम्मीदवार एक सीटः चुनाव सुधार का एक पक्ष

प्र. एक सीट एक उम्मीदवार को चुनाव सुधार के लिए एक मजबूत पहलू के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। इससे आप कितना सहमत हैं?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- चुनाव आयोग की पहल
- एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण
- एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का नुकसान
- केवल एक सीट पर चुनाव लड़ने से फायदे
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका का विरोध किया जिसमें किसी उम्मीदवार के एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
- केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि रिट याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि यह इस बात को दर्शाने में विफल रही है कि लोगों के किसी मौलिक या संवैधानिक अधिकार का उल्लेख हुआ है।

परिचय

- एक सीट एक उम्मीदवार से आशय यह है कि कोई उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक सीट से चुनाव लड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि 1996 से पहले कोई प्रत्याशी कितनी भी जगह से चुनाव लड़ सकता था लेकिन 1996 में संसद ने कानून बनाकर इसे दो सीटों तक सीमित कर दिया।

चुनाव आयोग की पहल

- चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के बारे में भारत के विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट को संदर्भित किया, जिसमें यह सिफारिश की गई कि मतदाताओं के लिये समय, प्रयास, चुनाव थकान और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए एक उम्मीदवार को केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होने की अनुमति दी जाय।
- चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को विधानसभा/विधानपरिषद चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए 5 लाख रुपये तथा आम चुनाव के लिये 10 लाख रुपये जमा करना चाहिए।

एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण

- राजनीतिक असुरक्षा की भावना अथवा चुनाव हारने का डर, कालेधन का खेल, भविष्य के लिए सीट सुरक्षित, जनता के बीच सहानुभूति आदि।

एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का नुकसान

- अनावश्यक खर्च, कालेधन का खपत, गैर जिम्मेदार प्रत्याशी को बढ़ावा, जनता के साथ धोखा, जनता को परेशानी आदि।

केवल एक सीट पर चुनाव लड़ने से फायदा

- सरकारी खर्चों से लेकर निजी खर्चों को बचाया जा सकता है।
- गैर जिम्मेदार प्रत्याशियों को इससे रोका जा सकता है।
- समय की बचत आदि।

निष्कर्ष

- हाल ही में एक सीट एक उम्मीदवार पर न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। यदि चुनाव आयोग इस सुधार को लागू करने में सफल होता है तो इससे भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी तथा अनावश्यक खर्चे व परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। अतः इस मुद्दे पर न सिर्फ न्यायालय बल्कि चुनाव आयोग और देश की सभी पार्टियों को मिल बैठकर सोचने की आवश्यकता है जिससे कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। ■

आदिवासियों में पैर पसारता कुष्ठ रोग

प्र. कुष्ठ रोग भारत में न केवल स्वास्थ्य समस्या है बल्कि ये सामाजिक समस्या भी है। कुष्ठ रोग निवारण के लिए किए गये सरकारी प्रयासों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाएँ।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है कुष्ठ रोग?
- कुष्ठ रोग के कारण
- वर्तमान परिदृश्य
- आदिवासी कुष्ठरोग के प्रति संवेदनशील क्यों?
- सरकारी पहल
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव करने वाले कानूनी प्रावधानों को खत्म करने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो ये देखें कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभाव न हों।

कुष्ठ रोग क्या है?

- कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होने वाला क्रोनिक संक्रामक रोग है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

कुष्ठ रोग के कारण

- आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कुष्ठ रोग के जीवाणु शरीर में पहुँचकर रक्त को दूषित करके कुष्ठरोग की उत्पत्ति करते हैं। कुष्ठ रोग के चिकित्सा में देर होने से शरीर में जीवाणु विकसित होकर रक्त को दूषित करके कुष्ठ रोग में वृद्धि कर देते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत में आधिकारिक रूप से कुष्ठ रोग को 2005 में ही लगभग समाप्त करके उसे 1/10000 दर की राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया गया था।
- आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान पाये गये नये कुष्ठरोगियों की संख्या 135485 पायी गई तथा इस रोग के प्रसार की दर मार्च 2017 तक प्रति 10,000 आबादी पर 0.66 प्रतिशत है।

आदिवासी कुष्ठ रोग के प्रति संवेदनशील क्यों?

- आदिवासियों का सामाजिक ताना बाना बिल्कुल अलग होता है तथा उनका रहन-सहन का स्तर निम्न होता है।
- चिकित्सा सुविधाओं की पहुँच दूर-दराज के क्षेत्रों में न पहुँचना, शिक्षा व जागरूकता की कमी, गरीबी तथा कुपोषण की समस्या, सामाजिक सहभागिता का अभाव आदि।

सरकारी पहल

- सन् 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। जिसे 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया था।
- हाल ही में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोग खोजी अभियान का शुभारंभ किया गया ये कार्यक्रम 16-29 जुलाई 2018 को भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाएगा।

आगे की राह

- सबसे पहले कुष्ठ रोगियों को समाज के मुख्य धारा में लाये जाने की आवश्यकता है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने की जरूरत है लोगों में जागरूकता तथा शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता, कुष्ठ रोगियों को सहानुभूति के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर और कानूनी अधिकार देने की आवश्यकता है। ■

वर्तमान में व्यभिचार बनाम वैवाहिक संस्था

प्र. 'सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गृहमंत्रालय ने धारा 497 (व्यभिचारी) के लिए दंड के प्रावधान को सही बताते हुए कहा है कि इस प्रावधान को कमजोर करने से वैवाहिक संबंधों की पवित्रता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।' क्या आप इस बात से सहमत हैं? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- विवाह क्या है?
- धारा 497 क्या है?
- क्या है विवाद?
- अन्य देशों में स्थिति
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- केन्द्र सरकार ने व्यभिचार में दंड के प्रावधान को सही बताया है साथ ही सरकार का कहना है कि ऐसा करना भारतीय मूल्यों के विपरीत होगा।
- केंद्र सरकार ने अपने हलफनामें में कहा कि विवाह जैसे संस्था को बचाने और उसकी पवित्रता को कायम रखने के उद्देश्य से विधायिका ने धारा-497 को कानून में जगह दी थी।

पृष्ठभूमि

- भारत की अपराध दण्ड संहिता यानी आईपीसी लिखने वाले लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि विवाह संबंध में अगर पत्नी और किसी 'अन्य पुरुष' के बीच संबंध बन जाए, तो इसे अपराध न माना जाए।
- लॉ कमीशन ने 1971 में पेश अपनी 42वीं रिपोर्ट में इस कानून में दो संशोधन करने के सुझाव दिए।

विवाह क्या है?

- विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है।
- प्रत्येक समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण कृत्य माना गया है। विवाह के माध्यम से मनुष्य अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करता है।

धारा-497 क्या है?

- व्यभिचार अंग्रेजी के जिस शब्द एडल्टरी से बना है, उसका अर्थ ही मिलावट है।

- आईपीसी की धारा-497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला का पति एडल्टरी के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है।

क्या है विवाद?

- केरल निवासी जोसेफ साइन ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।
- उन्होंने कहा था कि इस कानून के तहत न तो महिला को व्यभिचारी माना जाता है, न ही उकसाने वाला।
- आज के दौर में जब लोग 'लिव इन' में रहते हैं, एक संबंध के अलावा बहुत से संबंध भी रखते हैं, उसमें क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा करते हैं?

अन्य देशों में स्थिति

- भारत में व्यभिचार कानून का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया, लेकिन खुद ब्रिटेन में व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता है।
- विकसित देशों में स्थिति यह है कि या तो वहां व्यभिचार का कोई कानून नहीं है या फिर जहाँ कानून है भी तो वहाँ इसका इस्तेमाल न के बराबर होता है।

आगे की राह

- इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 497 के भीतर अस्पष्टताएँ मौजूद हैं।
- यह धारा केवल उस व्यक्ति के खिलाफ लागू होती है जो इस तरह के अपराध में शामिल लेता है। ■

नगरों में कूड़े के पहाड़ः एक चुनौती

प्र. भारत में बढ़ते नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उनके समाधान बताइए।

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्य।
- नगरों में बढ़ता अपशिष्ट एक चुनौती।
- अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं।
- अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

हाल ही में दिल्ली में स्थित कूड़े के पहाड़ों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के राज्यपाल को नोटिस भेजा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल से कूड़े के पहाड़ों एवं नगरीय अपशिष्ट निस्तारण के लिए उठाए गए प्रयासों को बताने के लिए कहा।

पृष्ठभूमि

दो दशक से ज्यादा समय से दिल्ली की जनता कचरे के इन पहाड़ों को झेल रही है और अभीतक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जो शहर को कचरा मुक्त कर सके। अतः इन लैण्डफिल साइटों पर कूड़े को इकट्ठा करते जाना अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है।

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिल्ली द्वारा किए गए कार्य

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् राज्यपाल द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया कि कूड़े के पहाड़ की समस्या को वैज्ञानिक तरीके से हल करने हेतु विशेषज्ञों की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। जिसके तहत लैण्ड फिल साइट को बंद करने और 34 मिलियन मीट्रिक टन कूड़े के प्रबंधन के लिए कदम उठाए गए।

नगरों में बढ़ता अपशिष्ट एक चुनौती

देशभर में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 चिकित्सा अपशिष्ट 7.90 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है। इनकी वजह से पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो गए।

अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं

अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस सम्पूर्ण श्रृंखला से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण व परिवहन के साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया 3-R's रणनीति का अनुसरण करते हुए की जाती है इसमें 3-R's से मतलब पदार्थ का न्यूनीकरण (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) तथा पुनर्चक्रण (Recycle) है।

प्रबंधन की विधियाँ

अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सार्वभौमिक रूप से कचड़ा प्रबंधन के चार मूलभूत सिद्धान्त चार R है अतः जो भी प्रयास हो वो इसके अन्तर्गत हों साथ ही हमें कचड़ा निस्तारण के लिए वैज्ञानिक मॉडलों के साथ पुरानी विधियों को अपनाना होगा।

आगे की राह

- हमें विभिन्न देशों से प्रबंधन की तकनीकियों को जानकर उसे अपने देश में लाना होगा। ■

दौड़ में आगे निकलती भारतीय अर्थव्यवस्था

प्र. हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक सूची में छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया लेकिन फिर भी भारत विकसित देशों की सूची में स्थान नहीं बना पाया। चर्चा कीजिए साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकसित हो रहे क्षेत्रों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- रिपार्ट के मुख्य बिंदु
- पृष्ठभूमि
- भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वैश्विक एेजेंसियों की रिपार्ट

- भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण और क्षेत्र
- भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसकी GDP 19.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। जबकि भारत की GDP 2.59 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

पृष्ठभूमि

- इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसर पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विश्व की कुल GDP का 32.9% थी इसके पश्चात औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक दोहन हुआ और भारत गरीबी की चपेट में आ गया आजादी के बाद विकास की गति को तीव्र करने के कई प्रयास किए गए। जिसके पश्चात भारत ने यह मुकाम फिर से प्राप्त किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वैश्विक ऐजेंसियों की रिपोर्ट

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी आदि के द्वारा भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण और क्षेत्र

- विश्व बैंक के अनुसार भारत ने यह वृद्धि नोटबंदी और जीएसटी के चलते विनिर्माण क्षेत्र में गति से प्राप्त की है। इसके साथ-साथ तात्कालिक सरकार की नीतियों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कई सकारात्मक नीतियों को लागू किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान चुनौतियाँ

- भारतीय अर्थव्यवस्था ने भले ही विश्व की छठी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है लेकिन आज भी यह विकसित देशों की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाया है क्योंकि आज भी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और आय का वितरण भी असमान है।

आगे की राह

- आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ आर्थिक विकास का होना अत्यावश्यक है अत: सरकार को आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्यनीति लागू करनी चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण

जल मार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी में 169.59 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे मल्टी मोडल टर्मिनल (एमएमटी) का निर्माण कार्य इसी वर्ष नवम्बर तक पूरा हो जायेगा। यह टर्मिनल इस परियोजना के लिए एक प्रमुख उपलब्धि होगी। साहिबगंज में 280.90 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एमएमटी का निर्माण कार्य मई, 2019 तक पूरा हो जाएगा, जबकि हल्दिया में 517.36 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे एमएमटी का निर्माण कार्य दिसंबर, 2019 तक पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा, फरक्का में 359.20 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे अत्याधुनिक नौवहन अवरोध (नैविगेशनल लॉक) का निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूरा हो जाएगा। इस नदी के फरक्का-कहलगांव खंड पर तलकर्षण (ड्रेजिंग)

के रख-रखाव के लिए 150 करोड़ रुपये का ठेका अप्रैल, 2018 में दिया गया था और इस पर काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के कालघाट में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर दो इंटर-मोडल टर्मिनलों (आईएमटी) के निर्माण कार्य का ठेका इसी वर्ष दिया जाएगा। जलमार्ग विकास विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 जो कि गंगा नदी पर निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 5369 करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी पर वाराणसी और हल्दिया खंड पर नौवहन क्षमता बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

जल मार्ग विकास विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर 5369 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य नदी के वाराणसी-हल्दिया खंड पर नौवहन क्षमता बढ़ाना है, ताकि कम से कम 1500-2000 टन के जहाजों का वाणिज्यिक नौवहन संभव हो सके। इस परियोजना के तहत वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण/स्थापना, आईएमटी, नौवहन अवरोध, नदी सूचना प्रणाली, जहाज मरम्मत एवं रख-रखाव सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं। ■

2. बंदूक लाइसेंस रखने वालों के लिए बनेगा राष्ट्रीय डेटाबेस

अप्रैल 2019 से सभी नए और पुराने बंदूक लाइसेंस धारकों के नाम राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किए जाएंगे और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किया जाएगा, यह कहना है गृह मंत्रालय का। इस कदम का लक्ष्य अधिकृत निजी बंदूकधारकों पर नजर रखना है। दरअसल उनमें से कई लोग अपराधों में और जश्न के नाम पर गोली चलाने के मामलों में, जिनमें लोगों की जान भी

चली जाती है, उनमें लिप्त पाए जाते हैं। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि हर लाइसेंस एवं नवीकरण प्राधिकार को हथियार लाईसेंस प्रणाली के राष्ट्रीय डाटाबेस में डेटा प्रविष्ट करना होगा। यह प्रणाली एक यूआईएन जारी करेगी।

मुख्य तथ्य

- गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि लाइसेंस और नवीनीकरण अथॉरिटी को हथियार लाइसेंस प्रणाली के राष्ट्रीय डाटाबेस में डाटा अंकित करना होगा।
- इसके बाद संबंधित हथियार लाइसेंस धारक को एक यूआईएन दिया जाएगा। बिना यूआईएन के हथियार लाइसेंस को अवैध माना जाएगा।
- यह फैसला हथियार कानून, 1959 की धारा 44 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर और हथियार नियमावली, 2016 में संशोधन कर किया गया है।
- इसके अलावा, फार्म तृतीय के तहत कई लाइसेंस धारकों को अपने यूआईएन के तहत सभी हथियारों के संदर्भ में एक ही लाइसेंस के लिए एक अप्रैल या उससे पहले आवेदन करना होगा।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक संशोधित अधिनियम के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, जिसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। ■

3. आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक लोकसभा में पारित हुआ

भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत की विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने, उनकी सम्पत्ति जब्त करने और उन्हें दंडित करने के प्रावधान वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को गुरुवार को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया है।

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों के बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद देश से फरार होने की पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है। इस कानून के अस्तित्व में आने के दिन जो भी व्यक्ति "भगोड़ा आर्थिक अपराधी है या भविष्य में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बनता है" उस पर यह कानून लागू होगा। इससे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे अपराधियों

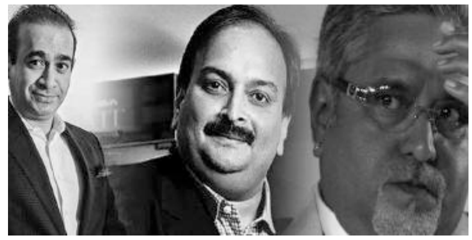

को देश वापस लाने तथा उनकी संपत्ति जब्त करने में तेजी आयेगी।

आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक, 2018 के प्रावधान

- इसमें कहा गया है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है और ऐसे अपराध किए हैं जिनमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम सम्मिलित है और वे भारत से फरार हैं या भारत में दंडात्मक अभियोजन से बचने या उसका सामना करने के लिए भारत आने से इंकार करते हैं।
- यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देता है।
- यह विधेयक, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है।
- इस विधेयक में किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की कोई सिविल दावा करने या बचाव करने की हकदारी नहीं होने का भी प्रावधान है। ■

4. रिमोट संचालित माइक्रोस्कोप लांच

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास ने सोमवार को 40 करोड़ रुपये की लागत से बने रिमोट संचालित माइक्रोस्कोप को लांच किया। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा माइक्रोस्कोप है, जो किसी सामग्री के परमाणुओं के सटीक दृश्य को देखने में सक्षम होगा। इस माइक्रोस्कोप का नाम Local Electrode Atom Probe (LEAP) है। यह देश के आठ शीर्ष संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है।

इन आठों संस्थानों के विज्ञानियों का नेतृत्व आईआईटी-मद्रास ने किया था। हालांकि इस तरह के कई डिवाइस दुनिया में पहले से मौजूद हैं। लेकिन आईआईटी-मद्रास द्वारा लांच किया गया एलईएपी अपने तरह का पहला है, जिसे शोधकर्ताओं ने भौगोलिक दृष्टि से विभाजित किया है। स्थानीय इलेक्ट्रोड एटम जांच (LEAP) उपयोगकर्ता को पदार्थों से परमाणु निकालने की तकनीकी देता है।

- यह सुविधा धातु सामग्री में परमाणु पैमाने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होगी जिससे स्टील से ऑटोमोबाइल और ऊर्जा से परिवहन क्षेत्र तक के उद्योगों के ऊपर असर पड़ेगा। ■

5. डायन प्रताड़ना विरोधी विधेयक को मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है। समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का का प्रावधान है।

इस विधेयक को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र के तहत तैयार किया गया है जिसमें डायन प्रताड़ना को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। असम में लोगों खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना बहुत पुरानी समस्या है। 2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन करार देकर उनकी हत्या कर दी गई। इस समस्या से निपटने के लिए असम विधानसभा ने 13 अगस्त , 2015 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया था।

विधेयक की विशेषताएँ

- इस कानून के तहत इस तरह का कोई भी अपराध गैर जमानती, संज्ञेय अपराध बन गया है।
- समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- इस विधेयक का उद्देश्य समाज में व्याप्त इस अंधविश्वास की समाप्ति करना है क्योंकि इस प्रथा द्वारा सैंकड़ों बेकसूर महिलाओं और पुरुषों की हत्या की जा चुकी है।
- इस नये कानून के लागू होने पर कोई भी किसी को डायन अथवा प्रेत जैसे शब्दों, व्यवहार एवं इशारों से संबोधित नहीं कर पायेगा। ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में शामिल माना जायेगा।
- यदि किसी व्यक्ति को डायन बताकर मार दिया जाता है तो अपराधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के जुर्म में सजा) के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी।
- यदि किसी व्यक्ति को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के लिए दोषी करार दिया जाता है तो अपराधी को तीन वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ■

6. राज्यसभा से भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पारित

रिश्वत लेने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में लाने वाले भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को राज्यसभा ने गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया है। विधेयक के अनुसार लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केन्द्र के मामले में लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी।

विधेयक के प्रावधान

- विधेयक में रिश्वत देने को प्रत्यक्ष अपराध माना गया है।
- रिश्वत देने के लिए मजबूर किए जाने वाले व्यक्ति को अधिकारियों को सात दिन के भीतर सूचना देने की स्थिति में इस कानून के दायरे से मुक्त रखा जाएगा।
- सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस कानून में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक व्यवस्था की गई है।
- विधेयक एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने और वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देने से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है।
- यह भी प्रस्ताव किया गया कि सरकारी कार्य करते हुए किसी कर्मचारी द्वारा की गई सिफारिश या लिये गये फैसले से संबंधित मामले की लोकपाल या लोकयुक्त द्वारा जांच के लिए सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति, इस्तीफा आदि के कारण कार्यालय छोड़ चुका है। उसकी सुनवाई के लिए पूर्व में मंजूर की गई सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा धन संवर्धन आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति को सबूत के रूप में लिया जाएगा।

पृष्ठभूमि

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 वर्ष 1988 में अधिनियमित किया गया था. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2013 को इसी उद्देश्य के अंतर्गत 19 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक में घूसखोरी से संबंधित अपराधों को परिभाषित करने के एक महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए प्रस्तावित संशोधनों पर भारतीय विधि आयोग के विचारों को भी मांगा गया। भारतीय विधि आयोग की 254वीं रिपोर्ट के द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप इस विधेयक में आगामी संशोधन प्रस्तावित हैं। ■

7. मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव गिरा

मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद हुए मत-विभाजन में 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 वोट पड़े जबकि विरोध में 325 मत पड़े।

अंतिम बार कब आया था अविश्वास प्रस्ताव?

आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 2003 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार के खिलाफ पेश किया था। यह अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया था क्योंकि सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े थे और खिलाफ 186 वोट।

भारतीय राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव

- अगस्त, 1963 में जेबी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा तो उसके पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे।
- भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुरी शास्त्री के खिलाफ तीन बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। पहला 1964 में और 1965 के दौरान दो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे।
- 1987 में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ध्वनि मत से उस प्रस्ताव को हरा दिया गया था. पी.वी.नरसिम्हा राव के कार्यकाल में तीन बार प्रस्ताव पेश किया गया।

अब तक सिर्फ तीन बार, 1990 में वी.पी. सिंह सरकार, 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और सरकार गिरी।■

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारत और युगांडा के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और युगांडा ने 24 जुलाई, 2018 को रक्षा-सहयोग, राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रियायत, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के क्षेत्र में चार समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श भी किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बीच कम्पाला में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में रवांडा से युगांडा पहुंचे हैं।

भारत और युगांडा के बीच चार समझौता ज्ञापन

- रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- अधिकारियों और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रियायत पर समझौता ज्ञापन
- सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन
- सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला पर समझौता ज्ञापन

युगांडा के लिए पीएम मोदी द्वारा घोषित अन्य पहल

भारत ने युगांडा को करीब बीस करोड़ डॉलर के दो ऋण देने की भी घोषणा की है जो ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कृषि और डेरी क्षेत्रों से संबंधित हैं। भारत युगांडा को एम्बुलेंस और कैंसर की चिकित्सा की मशीनें भी उपलब्ध करायेगा। भारत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास, आईटी और विकास के लिये युगांडा की मदद करेगा।

दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावना है। देश में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंपों के विनिर्माण और असेंबली के लिए भारतीय विशेषज्ञों से मदद मांगी। साथ ही, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सहायता की मांग की।

उल्लेखनिय है कि पिछले करीब बीस वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह युगांडा की पहली यात्रा है। हालांकि, मोदी वर्ष 2007 में युगांडा गए थे जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति मुसेवेनी के साथ अकेले में मुलाकात की और उसके बाद द्विपक्षीय रिश्तों की सभी पहलुओं पर समीक्षा को लेकर दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पांच दिवसीय तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 24 जुलाई, 2018 को युगांडा पहुंचे। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। अपनी तीन दिवसीय इस आधिकारिक यात्रा के दौरान वे ब्रिक्स समिट-2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत अफ्रीका के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता है जो मजबूत विकास साझेदारी और भारतीय डायस्पोरा की बड़ी उपस्थिति से मजबूत होते हैं। ■

2. म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल

म्यांमार 19 जुलाई, 2018 को भारत द्वारा आरंभ की गई पहल अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन (आईएसए) में 68वाँ सदस्य के रूप में शामिल हुआ तथा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये। म्यांमार ने इस संगठन में शामिल होकर सौर उर्जा के अधिक से अधिक उपयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली डायलॉग के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान म्यांमार के विदेश मंत्री क्याव तिन ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आईएसए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति व्यक्त की। इस बैठक में भारत और म्यांमार के मध्य निम्नलिखित विषयों पर भी चर्चा की गई:

- भारत, म्यांमार में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है इनमें कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विशेष रूप से शामिल है।
- यह परियोजना मिजोरम को म्यांमार के सित्वे बंदरगाह के साथ जोड़ती है।
- इस त्रिपक्षीय योजना से भारत म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ जायेगा।
- भारत म्यांमार के राखिने राज्य में मानवीय एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

- भारत ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान कोप-21 से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्राँस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी। फ्रांस, इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सफल होने के लिए 2022 तक 5600 करोड़ रुपये का फंड देगा जिससे सदस्य देशों में अन्य सोलर प्रोजेक्ट शुरू किये जायेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट (1000 गीगावाट) सौर ऊर्जा उत्पादन का है, जिस पर अनुमानतः 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आयेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय भारत में है। ■

3. 2+2 वार्ता की मेजबानी करेगा भारत

भारत 6 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता के उद्घाटन दौर की मेजबानी करेगा। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस वार्ता का नेतृत्व भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका की ओर से राज्य सचिव आर. पोम्पेओ तथा रक्षा सचिव जेम्स मैटिस करेंगे।

प्रमुख मुद्दे

- दोनों देशों के बीच सामरिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2+2 बैठक में साझा हित से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी।
- जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान पक्षों ने रणनीतिक स्तर की वार्ता के लिये ''2+2'' वार्ता पर सहमति व्यक्ति की थी।
- पिछले साल जून के बाद बैठक की घोषणा दो बार स्थगित की जा चुकी है क्योंकि अमेरिका के ईरान विरोधी प्रतिबंध भारत के ऊर्जा परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं।
- वार्ता का यह नया प्रारूप ओबामा प्रशासन के दौरान आयोजित दोनों देशों के विदेश और वाणिज्य मंत्रियों के बीच हुए रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्तालाप को प्रतिस्थापित करता है।
- वार्ता का प्रमुख फोकस संचार, संगतता, सुरक्षा समझौता *(COMCASA)* जैसे प्रमुख रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने पर होगा। *COMCASA*, एक बुनियादी रक्षा संधि है जो भारत को अन्य देशों से महत्वपूर्ण, सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

ईरान के खिलाफ प्रतिबंध

- '2+2 वार्ता' की घोषणा ईरान और रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों के परिपेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है।
- अतीत में भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ईरानी कच्चे तेल ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। परंतु, नई दिल्ली ने धीरे-धीरे अमेरिकी प्रतिबंधों का अनुपालन करने और वाशिंगटन से आवश्यक छूट को सुरक्षित रखने के लिये अपने तेल आयात को कम कर दिया।
- अमेरिका ने भारत सहित सभी देशों से कहा है कि वे 4 नवम्बर तक ईरान से अपना तेल आयात बंद करें। अगर भारत इसका पालन नहीं करता है तो देशी कंपनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
- ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अतिवादी रूख अख्तियार कर लिया है और इस मोर्चे पर वह कोई ढील देने को तैयार नहीं है। वहीं, ईरान भी इस मामले में तीखे तेवर दिखा रहा है। उसने भारत को हिदायत दी है कि ईरान के साथ तेल आयात कम करने का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा।
- यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अतीत में भारत ने ईरानी तेल की खरीद के संबंध में प्रतिबंध के खतरे का सामना किया है। ■

4. नासा ने सेटेलाईट डाटा के बढ़ावा हेतु टूलकिट लॉन्च की

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने 19 जुलाई, 2018 को सेटेलाईट डाटा के कामर्शियल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु टूलकिट लॉन्च की। यह ऑनलाइन टूलकिट इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया कि उपयोगकर्ताओं को डाटा के शोध, व्यावसायिक परियोजनाओं या संरक्षण प्रयासों के लिए प्रासंगिक उपग्रह डाटा का पता लगाने तथा उससे विश्लेषण और उसे उपयोग करना आसान हो सके।

रिमोट सेंसिंग टूलकिट

- 'रिमोट सेंसिंग टूलकिट' एक साधारण प्रणाली प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक स्रोतों की तुरंत पहचान करता है। टूलकिट को उपयोगकर्ताओं को डेटा खोजने के लिए डिजाइन किया गया है साथ ही नए टूल्स बनाने के लिए इसमें कुछ टूल्स और कोड दिए गये हैं। यह नया टूल नासा उपग्रह डेटा को पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है और इसका उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है।
- यह टूलकिट उद्यमशील समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने और नासा प्रौद्योगिकी के समक्ष व्यावसायीकरण का भी अवसर प्रदान करती है। यह उन उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करने में मदद करेगा जिन्होंने लोगों के लिए काम करने के लिए नासा के मुक्त और खुले डाटा संग्रह को रखा है।

नासा टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर कार्यक्रम

- इस टूलकिट का लॉन्च नासा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम का हिस्सा है जो रिमोट सेंसिंग डेटा की पेशकश करता है जिसने वैज्ञानिक समुदाय, अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-लाभकारी संगठनों को लंबे समय से लाभान्वित किया है।
- नासा के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम को नासा के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन निदेशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम मे यह सुनिश्चित किया जाता है कि अन्वेषण और खोज में मिशन के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां जनता के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हों तथा देश को अधिकतम लाभ प्रदान करें।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम रिमोट सेंसिंग टूलकिट के एक ट्यूटोरियल की मेजबानी करेगा। भाग लेने के लिए, संभावित उपयोगकर्ताओं को भविष्य की सेमिनारों के बारे में अधिसूचित होने के लिए साइन अप करना होगा। ■

5. चीन का अरुणाचल–तिब्बत बॉर्डर के नजदीक मौसम अवलोकन केंद्र

चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट तिब्बत में मानवरहित स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र की स्थापना की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में देश की सेना, विमानों और मिसाइलों के संचालन में मौसम संबंधी मदद के लिए इस स्टेशन की स्थापना की है। तिब्बत के शाननान परिक्षेत्र के अंतर्गत ल्हुंजे के युमई में इस केंद्र की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय मौसम युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और

टेक–ऑफ और मिसाइल के लॉन्च के लिए काफी अहम माना जाता है। ऐसे में छोटे मौसम केंद्र काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

मानवरहित मौसम अवलोकन केंद्र की विशेषताएँ

- यह मौसम अवलोकन केंद्र सीमा के विकास, सैनिकों और नागरिकों में सामंजस्य स्थापित करने में मददगार साबित होगा।
- यह स्टेशन एयर टेंपरेचर, एयर प्रेशर, हवा की गति, दिशा, उमस और बारिश जैसी चीजों के बारे में जानकारी देने में सक्षम होगा।
- यह मौसम केंद्र युमई सीमा पर स्थित है इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह स्टेशन यातायात और संचार से जुड़े डेटा उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा।
- इस स्टेशन से सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले हलचल पर भी नजर बनाए रखी जा सकेगी।
- इस मौसम अवलोकन केंद्र के निर्माण की शुरुआत 2018 में ही हुई थी और जून के महीने में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया।

प्रभाव

केवल नौ घरों और 32 निवासियों वाला युमई चीन का जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा शहर है। यह हिमालय की दक्षिणी तलहटी में स्थित है और हिंद महासागर की वजह से मौसम पर बहुत प्रभाव है। माना जा रहा है कि दूसरे स्थानों से जोड़ने के लिए यमुई में पहली सड़क साल 2017 से बन रही है। जब यह सड़क पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी तो यहां और भी मौसम अवलोकन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ■

6. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर वैश्विक समझौता

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जुलाई में पहली बार, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक वैश्विक समावेशी कॉम्पैक्ट पर सहमत हुए। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, स्थानीय अधिकारियों, नागरिक समाज और प्रवासियों के बीच एक वर्ष से अधिक चर्चाओं और परामर्श के बाद, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते का अंतिम रूप शुक्रवार को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वर्णित किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि लुईस आर्बर भी सर्वसम्मति से समझौते को अपनाए जाने के प्रति आशावादी थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, 'मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश आज बहुत ही बधाई देने के पात्र हैं,' यह एक उल्लेखनीय प्रक्रिया थी साथ ही यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी है।'

सहयोग करने के लिए सदस्य देशों द्वारा समझौते

संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिसके 23 उद्देश्य हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुद्दों के बीच प्रवास को सुरक्षित और व्यवस्थित करना है। इस ऐतिहासिक समझौते के दौरान हंगरी के विदेश मंत्री पीटर ने राजनयिकों से कहा कि उनकी सरकार महत्वपूर्ण बिंदुओं से असहमत है और बैठक में समझौते से 'विघटन की संभावना' पर चर्चा करेगी।

- यह समझौता व्यापार, पूँजी और सामान के बारे में नहीं है, यह केवल प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह समझौता 11–12 दिसंबर को माराकेश, मोरक्को में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा। माराकेश सभा पहलों, साझेदारी, अभिनव प्रथाओं, ठोस अनुप्रयोगों, प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं के लिए 'शुरुआती मंच' होगी। ■

7. तुर्की और सऊदी ने इजराइल को "यहूदी राष्ट्र" घोषित करने के फैसले को किया खारिज

तुर्की ने इजराइल संसद द्वारा पारित एक नए यहूदी राष्ट्र-राज्य कानून को स्वीकार करने से खारिज कर दिया और कहा कि यह सार्वभौमिक कानून के मानदंडों के खिलाफ है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक, एक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा: "इजराइली संसद द्वारा पारित यहूदी राष्ट्र-राज्य कानून आज सार्वभौमिक कानून के मानदंडों को नजरअंदाज करता है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को अनदेखा कर रहा है।" इजराइल संसद के "यहूदी राष्ट्र" घोषित करने की मंजूरी को खारिज कर दिया और इजराइल के इस फैसले को अस्वीकार भी कर दिया है। यह कानून अंतरराष्ट्रीय

कानून के प्रावधानों, अंतर्राष्ट्रीय वैधता के सिद्धांतों, मानवाधिकारों के महान सिद्धांतों के विपरीत है, और फिलीस्तीनी-इजराइल संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को खोजने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भी बाधा डालता है। विदित है कि इजराइल ने खुद को यहूदी राष्ट्र घोषित किया है इसी के साथ अरबी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हटा कर हिब्रू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। ओआईसी के महासचिव डॉ यूसेफ बिन अहमद अल-ओसइमीन ने जोर देकर कहा कि यह कानून नस्लवादी और गैरकानूनी है।यह मुस्लिम और ईसाई दोनों फिलिस्तीनियों के ऐतिहासिक अधिकारों को अनदेखा करता है और इजराइली समझौते के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है।

- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस जातिवादी कानून को अस्वीकार करने और निंदा करने के लिए कहा। काहिरा में, अरब संसद ने इजराइली संसद के कानून की पूर्ण और दृढ़ अस्वीकृति की पुष्टि की जो इजराइल को यहूदी लोगों के लिए राज्य-राष्ट्र घोषित करता है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

क्या होता है?

- निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियम कंपनी अधिनियम, 2013 के सातवीं अनुसूची के खंड 135 के तहत परिभाषित हैं, जो कि 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आया है।
- कंपनियाँ किसी क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन करती हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और वहाँ पर बसे लोगों के लिए असुविधा पैदा करती हैं। अतः यह उनका दायित्व बनता है कि वे अपने लाभ का कुछ अंश समाज और उस क्षेत्र की उन्नति के लिये बांटे।
- निगमित सामाजिक दायित्व किसी भी ईकाई की उसके समाज के प्रति वह दायित्व है, जो समाज द्वारा दिये गए सहयोग और समाज पर होने वाले संभावित दुष्प्रभाव के बदले में निभाया जाता है।

किन पर लागू है

- सीएसआर मानदंडों के अनुसार कंपनियों को एक सीएसआर समिति स्थापित करनी होगी। जिसमें उनके बोर्ड के सदस्य होंगे और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा।
- यह कंपनियों को बीते तीन वर्षों में हुए उनके औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर गतिविधियों में खर्च करने को प्रोत्साहित करता है।
- सीएसआर मानदंड उन कंपनियों पर लागू है जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का है या जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपयों या उससे अधिक का है या शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

चुनौतियाँ

- आम लोगों एवं कई कंपनियों को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अर्थ की समझ पूरी तरह से नहीं है।
- नीति की समझ में कमी के कारण निगमित सामाजिक दायित्व के तहत किये गये कार्यों की प्रभावकारिता एवं पहुँच प्रभावकारी नहीं है।
- कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार 2016 में अपना वार्षिक विवरण देने वाली 5097 कंपनियों में से केवल 3118 कम्पनियों ने सीएसआर से संबंधित कार्य किया।
- सीएसआर का बहुत थोड़ा भाग ही नवाचार पर खर्च किया जाता है। इसका अधिकांश भाग प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जाता है।
- सीएसआर का अधिकांश भाग विकसित राज्यों में ही खर्च कर दिया जाता है। पिछड़े राज्य इससे वंचित रह जाते हैं।

चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2019 तक सीएसआर के माध्यम से 50000 करोड़ ₹ निवेश किये जाने की संभावना जताई गई है।

वर्तमान स्थिति

- आज सीएसआर के माध्यम से शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को एक बड़ी राशि प्राप्त हो रही है।
- वर्तमान में भारत में लगभग 12000 करोड़ रुपये सीएसआर फण्ड में आ रहे हैं।
- महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में सर्वाधिक सीएसआर मिलता है।

लाभ

- समाज, पर्यावरण, देश के विकास में सहयोग मिलता है।
- लोगों व समाज के अंदर एक तरह की सकारात्मकता पैदा करता है। जिससे सामाजिक सौहार्द व मानवतावादी दृष्टिकोण में बढ़ोत्तरी होती है।
- वह कम्पनी जो सीएसआर को बढ़ावा देती है उससे नवाचार व वैचारिक गतिशीलता आती है।
- घरेलू कम्पनियाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करती है क्योंकि सीएसआर से उनकी साख में बढ़ोत्तरी होती है।

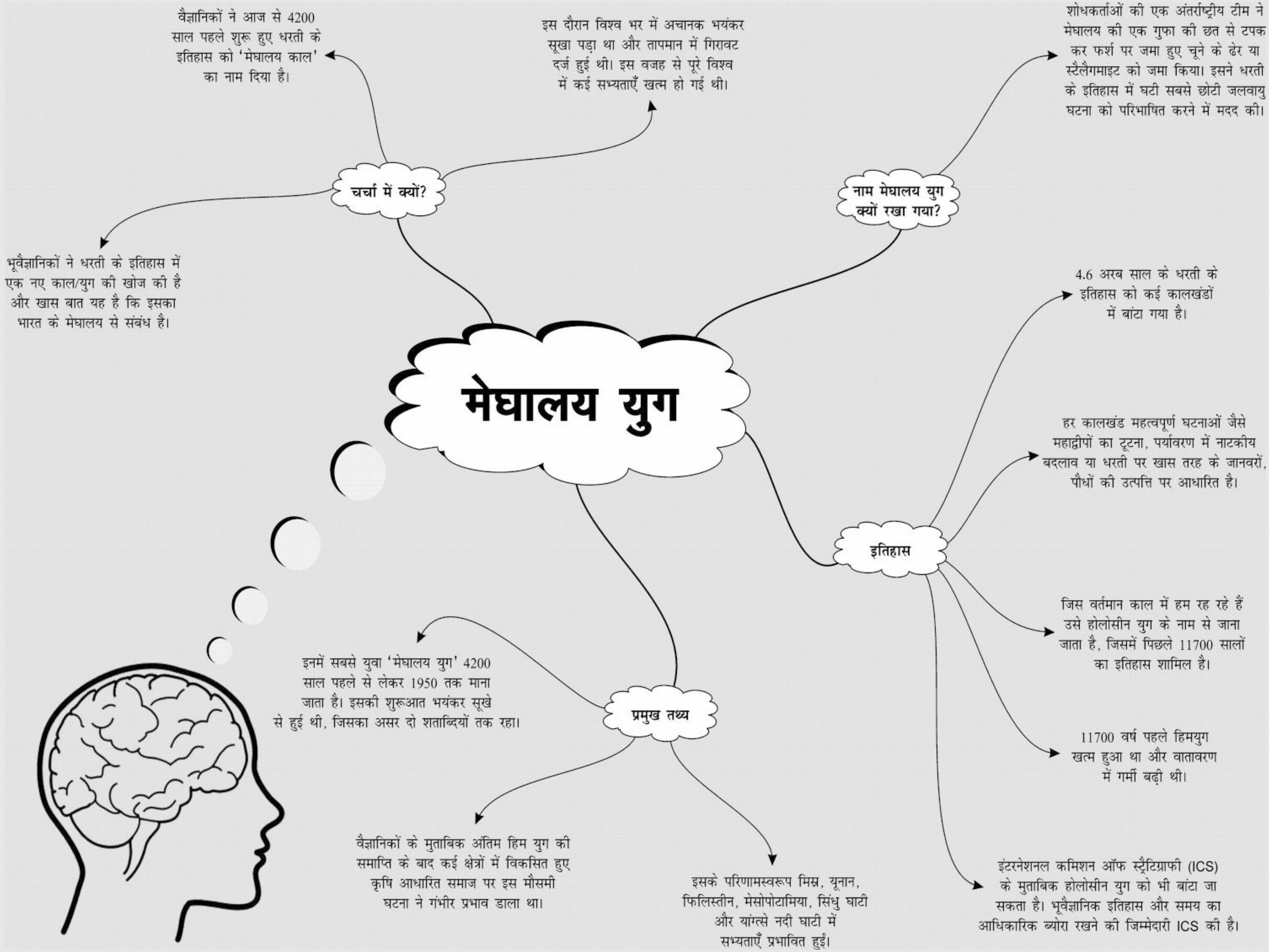
मेघालय युग
चर्चा में क्यों?
वैज्ञानिकों ने आज से 4200 साल पहले शुरू हुए धरती के इतिहास को 'मेघालय काल' का नाम दिया है।
इस दौरान विश्व भर में अचानक भयंकर सूखा पड़ा था और तापमान में गिरावट दर्ज हुई थी। इस वजह से पूरे विश्व में कई सभ्यताएँ खत्म हो गई थी।
भूवैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए काल/युग की खोज की है और खास बात यह है कि इसका भारत के मेघालय से संबंध है।
नाम मेघालय युग क्यों रखा गया?
शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मेघालय की एक गुफा की छत से टपक कर फर्श पर जमा हुए चूने के ढेर या स्टैलैगमाइट को जमा किया। इसने धरती के इतिहास में घटी सबसे छोटी जलवायु घटना को परिभाषित करने में मदद की।
इतिहास
4.6 अरब साल के धरती के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया है।
हर कालखंड महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे महाद्वीपों का टूटना, पर्यावरण में नाटकीय बदलाव या धरती पर खास तरह के जानवरों, पौधों की उत्पत्ति पर आधारित है।
जिस वर्तमान काल में हम रह रहे हैं उसे होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें पिछले 11700 सालों का इतिहास शामिल है।
11700 वर्ष पहले हिमयुग खत्म हुआ था और वातावरण में गर्मी बढ़ी थी।
इंटरनेशनल कमिशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी (ICS) के मुताबिक होलोसीन युग को भी बांटा जा सकता है। भूवैज्ञानिक इतिहास और समय का आधिकारिक ब्योरा रखने की जिम्मेदारी ICS की है।
प्रमुख तथ्य
इनमें सबसे युवा 'मेघालय युग' 4200 साल पहले से लेकर 1950 तक माना जाता है। इसकी शुरूआत भयंकर सूखे से हुई थी, जिसका असर दो शताब्दियों तक रहा।
वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतिम हिम युग की समाप्ति के बाद कई क्षेत्रों में विकसित हुए कृषि आधारित समाज पर इस मौसमी घटना ने गंभीर प्रभाव डाला था।
इसके परिणामस्वरूप मिस्र, यूनान, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और यांग्त्से नदी घाटी में सभ्यताएँ प्रभावित हुईं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

पृष्ठभूमि

- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 एक अप्रैल 2010 से देश में प्रभावी है।
- इसकी परिकल्पना 6-14 वर्ष उम्र के देश के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए की गई थी।
- इस अधिनियम में धारा 23(2) के तहत प्राथमिक स्तर पर जिन शिक्षकों के पास 31 मार्च 2015 तक यानी पांच वर्ष के दौरान न्यूनतम योग्यता नहीं था, उन सभी के लिए इस संशोधन के जरिये न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना जरूरी होगा।
- कई राज्य सरकारों का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर कुल 66.41 लाख शिक्षकों में से अभी तक 11.00 लाख शिक्षक (इनमें 5.12 लाख सरकारी हैं) अप्रशिक्षित हैं।
- अब इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्राथमिक स्तर तक चार वर्षों में न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा।

चर्चा का कारण

- लोकसभा ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी जिसमें आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने की बात कही गई है। हालांकि बच्चों को कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों का दिया गया है।
- विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन मंत्री ने कहा, यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक है और इससे स्कूलों, खासकर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा।
- इस पहल से परीक्षा के साथ जवाबदेही आयेगी, शिक्षा और सीखने को बढ़ावा मिलेगा, पढ़ने और पढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा और अंततः 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' सुनिश्चित हो सकेगी।

क्यों लाना पड़ा संशोधन

- आठवीं तक फेल न करने की नीति से आठवीं तक बच्चे और शिक्षक पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके चलते ज्यादातर राज्यों में दसवीं के नतीजे खराब हो रहे थे।
- पिछले साल हुई केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड की बैठक में तीन राज्यों- तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के अलावा सभी राज्यों ने इस नीति में बदलाव करने की मांग केंद्र से की थी।
- असर और नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण में भी यह सामने आया था कि आठवीं तक के ज्यादातर बच्चों के पास अपेक्षित ज्ञान ही नहीं है। इसके बाद ही सरकार ने इस बदलाव को लेकर प्रयास शुरू किए थे।

इस संशोधन के बाद

- राज्य अपने यहाँ बच्चों को पांचवीं और आठवीं में फेल कर सकेंगे, हालांकि उन्हें फेल हुए बच्चों के लिए मई में दोबारा परीक्षा आयोजित करनी होगी।
- अगर बच्चे इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होने लायक नंबर लाने में असफल होते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा।
- हालांकि, फेल हुए बच्चों को किसी भी सूरत में स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।

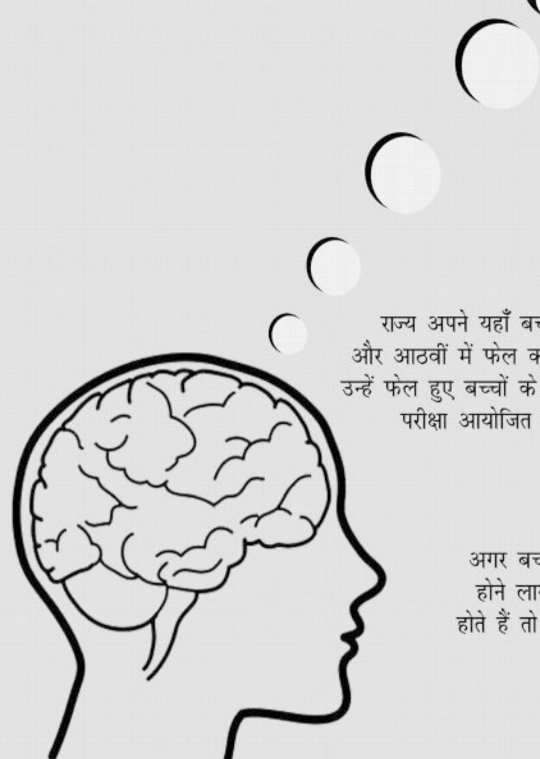

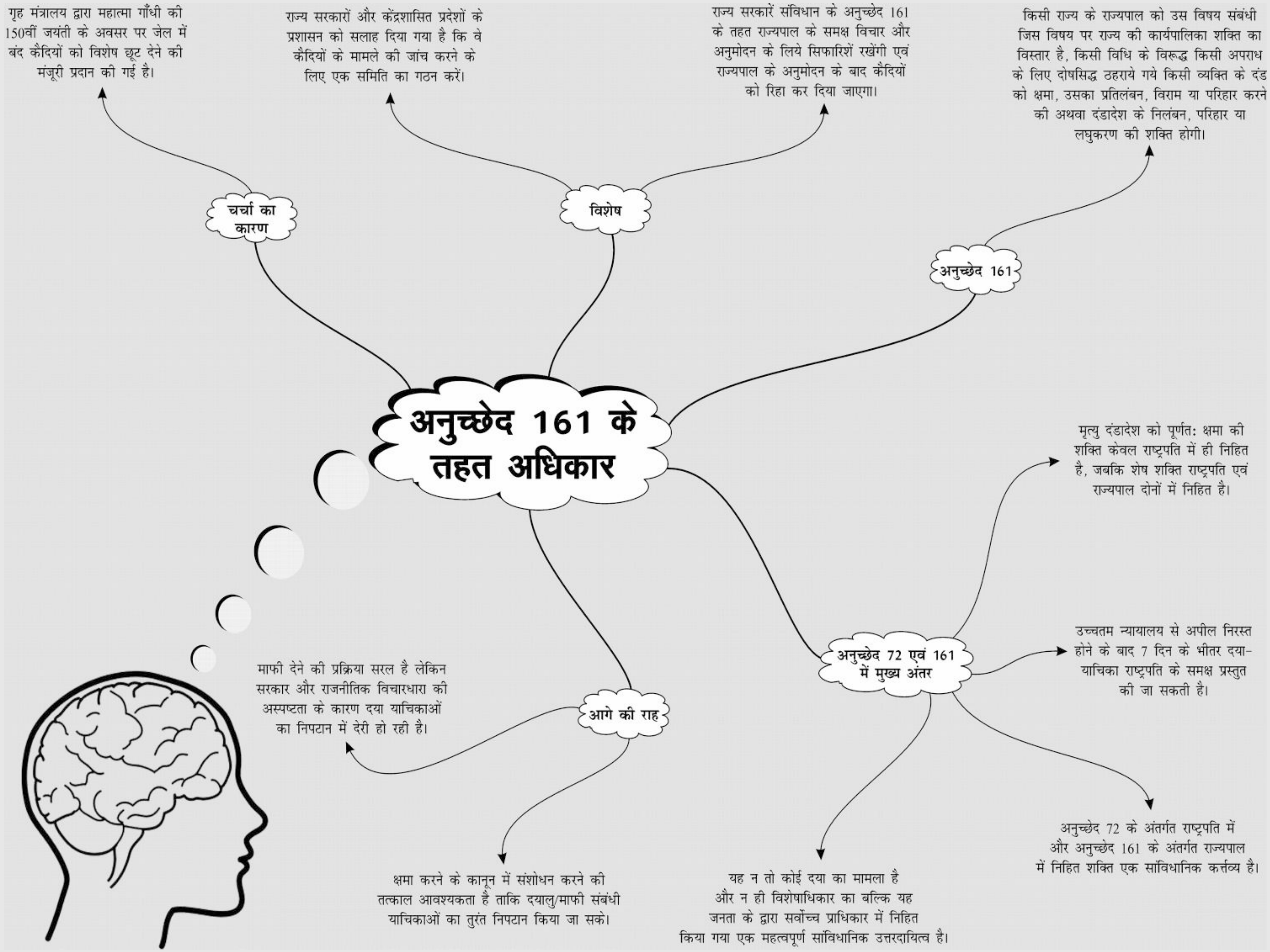
अनुच्छेद 161 के तहत अधिकार
चर्चा का कारण
गृह मंत्रालय द्वारा महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जेल में बंद कैदियों को विशेष छूट देने की मंजूरी प्रदान की गई है।
विशेष
राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को सलाह दिया गया है कि वे कैदियों के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करें।
राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिये सिफारिशें रखेंगी एवं राज्यपाल के अनुमोदन के बाद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।
अनुच्छेद 161
किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
अनुच्छेद 72 एवं 161 में मुख्य अंतर
मृत्यु दंडादेश को पूर्णतः क्षमा की शक्ति केवल राष्ट्रपति में ही निहित है, जबकि शेष शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों में निहित है।
उच्चतम न्यायालय से अपील निरस्त होने के बाद 7 दिन के भीतर दया-याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति में और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित शक्ति एक सांविधानिक कर्त्तव्य है।
यह न तो कोई दया का मामला है और न ही विशेषाधिकार का बल्कि यह जनता के द्वारा सर्वोच्च प्राधिकार में निहित किया गया एक महत्वपूर्ण सांविधानिक उत्तरदायित्व है।
आगे की राह
माफी देने की प्रक्रिया सरल है लेकिन सरकार और राजनीतिक विचारधारा की अस्पष्टता के कारण दया याचिकाओं का निपटान में देरी हो रही है।
क्षमा करने के कानून में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि दयालु/माफी संबंधी याचिकाओं का तुरंत निपटान किया जा सके।

शरिया कोर्ट

क्या है?

- दारूल कजा इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार फैसले देती है जहाँ पर पारिवारिक मामले और प्रॉपर्टी का विवाद का निपटारा किया जाता है।
- इस कोर्ट में आमतौर पर मुसलमानों के मामले जैसे शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा, लड़कियों को जायदाद में हिस्सा देना आमतौर पर शामिल होता है।
- दारूल कजा (शरिया कोर्ट) में एक या उससे अधिक जज हो सकते हैं जिन्हें काजी कहा जाता है। काजी इस्लामिक शरिया के विद्वान होते हैं।
- वर्तमान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशभर में 50 शरिया कोर्ट संचालित कर रहा है। बोर्ड 1993 से देश में दारूल कजा संचालित कर रहा है।

चर्चा का कारण

- इस एलान के बाद पूरे देश में बहस का माहौल बन गया जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बता रहा है।
- हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के सभी जिलों में दारूल कजा यानि इस्लामिक शरिया अदालत खोलने का एलान किया है।

आवश्यकता क्यों?

- पिछले दिनों मुसलमानों से संबंधित कई मामले जैसे- ट्रिपल तलाक, निकाह और हलाला जैसे मुद्दों पर काफी विवाद उत्पन्न हुआ और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया।
- केंद्र सरकार भी इन सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के जरिये निपटाने का प्रयास कर रही है। परिणामस्वरूप बोर्ड को भी अपनी नीति बदलनी पड़ी है।
- बोर्ड का मंतव्य है कि मुसलमानों के पारिवारिक मामले दारूल कजा से निपटाए जाएं, ऐसा करने से खर्चे की बचत, विवाद का जल्द फैसला और इस्लाम के अनुसार निपटारा संभव है।

बोर्ड का पक्ष

- ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जीलानी ने शरिया कोर्ट के खिलाफ सारी आशंकाओं को सिरे से खारिज किया।
- उनके अनुसार दारूल कजा समानान्तर कोर्ट नहीं है, जिसपर 7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था।
- उनका कहना है कि हम दारूल कजा में काजी के जरिये सिर्फ इस्लामिक शरिया के तहत किसी मामले में इस्लामिक कानून बना देते हैं, यहाँ काजी कोई इनफोर्सिंग एजेंसी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया

- सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक फैसले में शरिया अदालतों पर पाबंदी लगाने से इंकार कर दिया था।
- 2005 में दायर विश्व लोचन मदान की याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि किसी को शरिया कोर्ट की बात मानने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन यदि कोई शरिया कोर्ट में जाना चाहता है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि ग्रेट ब्रिटेन में शरिया कोर्ट का प्रचलन 2008 से ही है। इसके अलावा इजराइल में शरिया कोर्ट बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है।

विपक्ष

- शरिया कोर्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है और किसी को भी बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- देश संविधान के अनुसार चलता है तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है इसलिए कोई भी सामानांतर व्यवस्था/संस्था संवैधानिक रूप से सही नहीं है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

चर्चा का कारण

- नियामक ने दूरसंचार विभाग को दी सिफारिश में कहा कि कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए उससे जुड़ी जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहिए और अगर डेटा में कोई सेंध लगता है तो उसका खुलासा किया जाना चाहिए।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मौजूदा डेटा संरक्षण मसौदे को अपर्याप्त बताया।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निजता से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सिफारिश की है, ट्राई ने कहा कि कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं से जुड़ी जानकारी (डेटा) संग्रह कर ही हैं।

विरोध

- इन सिफारिशों के लागू होने पर आम उपभोक्ताओं को लाभ होना तय है, लेकिन टेलिकॉम ऑपरेटरों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने ट्राई की सिफारिशों को नेट न्यूट्रीलिटी की संकीर्ण परिभाषा करार दिया है।
- संगठन ने वॉयस काल, व्हाट्सऐप, स्काइप, बीवर और गूगल डूओ जैसी सेवाओं को लेकर चिंता जताई है।
- सीओएसआई के महानिदेशक रंजन मैथ्यूज कहते हैं, "नेट निरपेक्षता के मुद्दे पर विस्तृत नजरिया अपनाना जरूर है। इसके तहत देश के एक अरब लोगों तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- वह कहते हैं कि मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप वाली कंपनियों को लाइसेंस देने की बात भी सिफारिशों में शामिल की जानी चाहिए।

लाभ

- अगर ट्राई की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है तो डिजिटल तंत्र जैसे- ब्राउजर, मोबाइल एप्लीकेशंस, उपकरण, आपरेटिंग सिस्टम और सेवा प्रदाता कंपनियाँ ग्राहकों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर पाएंगी।
- प्रस्तावित नियमों में उपयोगकर्ताओं द्वारा बाद में कभी भी इस सहमति को रद्द करने का प्रावधान भी है।
- उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकत्र करने से पहले उनकी स्पष्ट रूप से सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा।
- उपयोगकर्ताओं को भूल जाने का अधिकार भी होगा ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता को उपभोक्ता से संबंधित सभी व्यक्तिगत डेटा को हटाना अनिवार्य होगा।

आवश्यकता क्यों?

- निजता की सुरक्षा के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर मौजूदा नियम की शर्तों को डिजिटल तंत्र की इकाइयों पर भी लागू करना चाहिये।
- इसके लिये सरकार को उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और एप्लीकेशन के नियम के लिये नीति प्रारूप अधिसूचित करना चाहिए।
- अमेरिका और यूरोप ने मजबूत डेटा संरक्षण कानून बनाये हैं जबकि भारतीय नीति निर्माताओं ने अब तक इस पर ठोस कार्य नहीं किया है।
- कई बार कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं की जानकारी को बिना उनकी अनुमति लिये अन्य इकाइयों के साथ भी साझा कर देती है जो कि उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी पसंद और सहमति का गंभीर उलंघन है।
- न्यायमूर्ति वीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय सरकारी समिति द्वारा सभी क्षेत्रों में डेटा संरक्षण पर एक श्वेत-पत्र 2017 में जारी किया गया था लेकिन इस संबंध में व्यापक नीति लाने की दशा में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं देखी गई है।

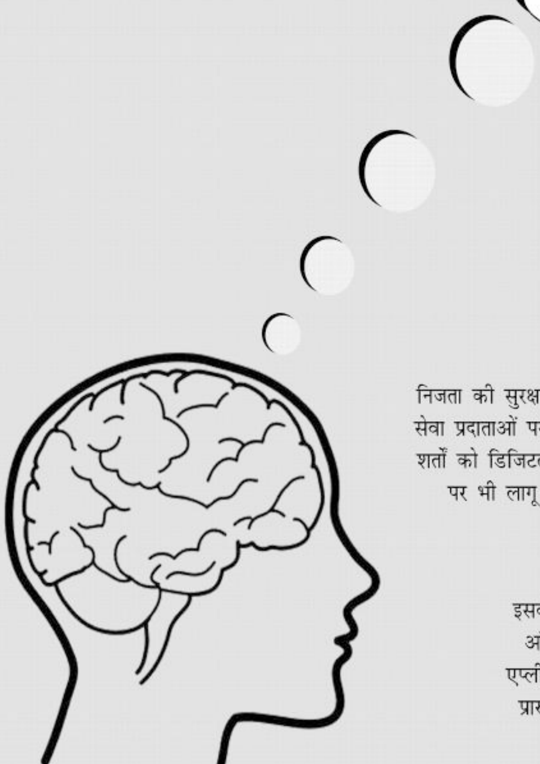

अपटतीय पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा

- पवन ऊर्जा बनाने के लिये हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
- बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।

चर्चा का कारण

- पवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिये मंत्रालय ने मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है।
- हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में एक गीगावाट की प्रथम अपटतीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिये अभिरूचि पत्र आमंत्रित किये हैं। जिसमें देश-विदेश के उद्योग जगत ने काफी रूचि दिखाई है।

लक्ष्य

- भारत में तय किये गये 60 गीगावाट के तटवर्ती पवन ऊर्जा लक्ष्य एवं 34 गीगावाट पवन ऊर्जा की प्राप्ति और वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट के सौर ऊर्जा लक्ष्य की तुलना में यह लक्ष्य मामूली नजर आता है लेकिन खुले समुद्र में विशाल पवन ऊर्जा टर्बाइन लगाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति भी चुनौतिपूर्ण है।
- वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यम कालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है।
- उल्लेखनीय है कि केवल गुजरात में ही अपटतीय पवन ऊर्जा से 1.06 लाख मेगावॉट बिजली बनाने की क्षमता है। जबकि तमिलनाडु में 60 हजार मेगावॉट बिजली इस परियोजना से बनाई जा सकती है।
- भारत के ईईजेड में अपटतीय पवन ऊर्जा क्षमता का विकास करना एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करना।

उद्देश्य

- ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना।
- अपटतीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा कुशल मानव शक्ति और रोजगार श्रृजन का नया उपयोग तैयार करना।
- इस नीति से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

महत्व

- भारत के पास 7600 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट के साथ उच्च अपटतीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं।
- यह नीति देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने, अपटतीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और पर्यावरण स्थिरता प्राप्त करने के लिए बहुआयामी प्रयास है।

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश 2190 मेगावॉट पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है।
- गुजरात (1275 MW), कर्नाटक (882 MW), मध्य प्रदेश (357 MW) और राजस्थान (208 MW) क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पाँचवें स्थान पर हैं।
- वर्तमान में भारत में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन 9500 मेगावॉट है।
- भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिक, जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।
- भारत की पवन ऊर्जा के उत्पादन में कुल वैश्विक भागीदारी 5.8 प्रतिशत है।
- भारत की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता (25088 MW) देश की कुल विद्युत संस्थापित क्षमता का 8.7 प्रतिशत है।

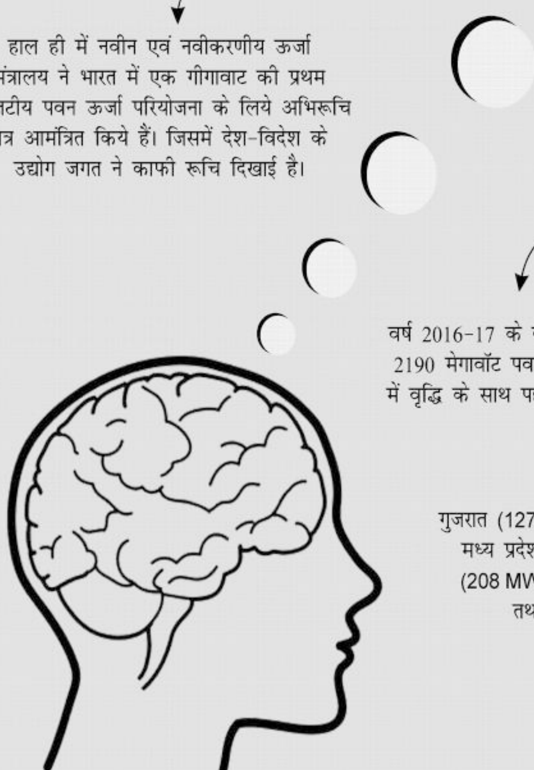

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

प्र. कंपनी अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उन कम्पनियों पर लागू होता है जिनका सालाना टर्न ओवर 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का है अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है।
2. यह कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों में हुए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर गतिविधियों में खर्च करने को प्रोत्साहित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) कवेल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः कंपनी अधिनियम 2013 के सातवीं अनुसूची के खंड 135 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियम परिभाषित है। ये मानदंड उन कंपनियों पर लागू है जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का है अथवा जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। इन कम्पनियों को बीते तीन वर्षों में हुए उनके औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर गतिविधियों में खर्च करने को कहा गया है। ■

2. मेघालय युग

प्र. निम्नलिखित कथनों में से सही कथन/कथनों का चयन करें।

1. पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले मानी जाती है।
2. वर्तमान काल की शुरूआत 11700 वर्ष पूर्व मानी जाती है तथा इसे होलोसीन कहा जाता है।
3. वैज्ञानिकों ने आज से 4200 साल पहले शुरू हुए धरती के इतिहास को मेघालय काल नाम दिया है।
4. पृथ्वी के सम्पूर्ण इतिहास को विभिन्न कालों में बाँटने का काम इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी (ICS) द्वारा किया जाता है।

कूटः

(a) 1, 2, 3 (b) 2, 3, 4
(c) 1, 2 (d) 1, 2, 3, 4

उत्तरः (b)

व्याख्याः पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। कथन 2, 3 व 4 सही है। ■

3. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

प्र. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 के सम्बन्ध में निम्न कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया।
2. इस विधेयक में आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने की बात कही गई है।
3. प्राथमिक शिक्षकों को 31 मार्च 2019 के पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम, 2009 एक अप्रैल 2010 से देश में लागू हुआ। वर्तमान के दूसरे संशोधन विधेयक द्वारा 8वीं में फेल न करने की नीति को बदला जा रहा है। अब आठवीं में फेल हुए बच्चों को मई के माह में पास होने का एक मौका और दिया जायेगा यदि बच्चा उसमें भी फेल जाता है तो उसे फेल माना जायेगा परंतु किसी भी हालत में बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जायेगा। इस संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अभी तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ■

4. अनुच्छेद 161 के तहत अधिकार

प्र. अनुच्छेद 161 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिये समिति की सिफारिशें रखेगी एवं राज्यपाल के अनुमोदन के बाद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।
2. अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति में और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित शक्ति एक सांविधानिक कर्तव्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समझ विचार और अनुमोदन के लिये समिति की सिफारिशें रखेंगी एवं राज्यपाल के अनुमोदन के बाद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति में और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित शक्ति एक सांविधानिक कर्तव्य है। इस तरह कथन 2 भी गलत है। इस तरह उत्तर (d) होगा। ■

5. शरिया कोर्ट

प्र. शरिया कोर्ट के संबंध में गलत कथन का चयन करें।

(a) शरिया कोर्ट में एक या इससे अधिक जज हो सकते हैं जिन्हें काजी कहा जाता है। ये काजी इस्लामिक शरिया के विद्वान होते हैं।

(b) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1998 से देश में दारूल कजा (शरिया कोर्ट) को संचालित कर रहा है।

(c) ग्रेट ब्रिटेन में शरिया कोर्ट का प्रचलन 2008 से ही है। इसके साथ ही इजराइल में भी शरिया कोर्ट बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है।

(d) 2005 में दायर विश्व लोचन मदान की याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि किसी को शरिया कोर्ट की बात मानने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है और व्यक्ति की इच्छा हो तो रोका भी नहीं जा सकता है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1993 से देश में दारूल कजा (शरिया कोर्ट) को संचालित कर रहा है। इस तरह कथन b गलत है। वर्तमान में ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड देश भर में 50 शरिया कोर्ट संचालित कर रहा है। वर्ष 2005 में दायर विश्व लोचन मदान की याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि किसी को शरिया कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन यदि कोई शरिया कोर्ट में जाना चाहता है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता है। ■

6. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है तो डिजिटल तंत्र जैसे ब्राउजर, मोबाइल एप्लीकेशंस, आपरेटिंग सिस्टम और सेवा प्रदाता कंपनियाँ ग्राहकों की सहमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जानकारी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर पाएगी।
2. ट्राई की इस सिफारिश के अनुसार उपयोगकर्ता के डेटा को एकत्र करने से पहले उनकी स्पष्ट रूप से सहमति लेना अनिवार्य नहीं होगा।

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः ट्राई के सिफारिश के अनुसार उपयोगकर्ता के डेटा को एकत्र करने से पहले उनकी स्पष्ट रूप से सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह कथन 2 गलत है इसलिए उत्तर (a) होगा। ■

7. अपतटीय पवन ऊर्जा

प्र. अपतटीय पवन ऊर्जा के संदर्भ में गलत कथनों का चयन करें।

1. भारत सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है।
2. भारत के पास 8600 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट के साथ उच्च अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपार संभावनायें हैं।
3. वर्ष 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश 2190 मेगावॉट पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है।

(a) केवल 1 व 3
(b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारत के पास 7600 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट के साथ उच्च अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपार संभावनायें हैं। इस तरह कथन 2 गलत है। वर्ष 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश 2190 मेगावॉट पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पर है। इस तरह कथन 3 भी गलत है। अतः उत्तर (b) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्द ही 100 रुपये के नये नोट जारी किये जाने की घोषणा की गई। इसके पृष्ठ भाग में चित्र अंकित होगा।

   - रानी की वाव

2. भारत का वह पड़ोसी देश जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये।

   - म्यॉमार

3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे से जितने मीटर के दायरे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया है।

   - 100 मीटर

4. वह देश जिसने हाल ही में दो वर्ष बाद आपातकाल हटाये जाने की घोषणा की है।

   - तुर्की

5. वह राज्य जिसने हाल ही में हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की।

   - ओडिशा

6. वह कम्पनी जिसने गूगल के बाद एआई आधारित हथियार ना बनाने का संकल्प लिया।

   - स्पेस एक्स

7. वह खिलाड़ी जिसे फीफा विश्वकप 2018 का 'गोल्डन बॉल' अवार्ड दिया गया।

   - लुका मोड्रिच

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है, जिसने इंद्रियों को वश में किया उसको स्त्री तृण-तुल्य जान पड़ती है, निस्पृह को जगत तृण है।

   - चाणक्य

2. तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है।

   - महात्मा गाँधी

3. मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है।

   - प्रेमचंद

4. ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहाँ धन तो है लेकिन सम्मान नहीं।

   - विनोबा भावे

5. जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती।

   - भगवान महावीर

6. ख्याति नदी की भाँति अपने उद्गम स्थल पर क्षीण ही रहती है किंतु दूर जाकर विस्तृत हो जाती है।

   - भवभूति

8. क्रोध से शुरू होने वाली हर बात, लज्जा पर समाप्त होती है।

   - बेंजामिन फ्रैंकलिन

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार की दृष्टि से वर्ष 2018 किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है? प्रमुख आर्थिक संकेतकों का उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए।

2. सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भी देश में मॉबलिंचिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। मॉब लिंचिंग के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान पर चर्चा करें।

3. मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

4. बढ़ता जल संकट न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिये खतरे की एक घंटी है। जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की चर्चा करते हुए इसमें आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें।

5. हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अतिपोषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है जबकि एक दूसरा पहलू यह है कि विश्व में भूखमरी और कुपोषण के मामले भारत में सबसे अधिक है। आप इससे कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

6. हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में रहा। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए यह बतायें कि बहुदलीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को यह किस प्रकार प्रभावित करता है?

7. दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका का हस्तक्षेप और चीन का बढ़ता प्रभाव इस क्षेत्र को एक नये गठजोड़ की तरफ ले जा रहा है। टिप्पणी करें।

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park lll, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णत: अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**